फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

मास्टर ऑफ एजूकेशन उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र :2014-15

शोध निर्देशक
डॉ० अमरनाथ दत्त गिरि
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग

शोधार्थिनी
कु. ज्योति
एम. एड. छात्रा
शिक्षा विभाग

अतर्रा पी० जी० कालेज, अतर्रा (बाँदा)

(सम्बद्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी)

फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की
मास्टर ऑफ एजूकेशन उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र :– 2014–15

शोध निर्देशक

डॉ अमरनाथ दत्त गिरी
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग

शोधार्थिनी

कु. ज्योति
एम. एड. छात्रा
शिक्षा विभाग

अतर्रा पी0 जी0 कालेज अतर्रा, बाँदा

सम्बद्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

आभार

मैं अपने निर्देशक शिक्षक शिक्षा विभाग के **डॉ. अमरनाथ दत्त गिरी** का आभार व्यक्त करती हूँ , जिनके मार्ग दर्शन एवं सहयोग से यह लघु शोध प्रबन्ध पूरा हुआ। इसके साथ ही में अपने विभाग के **डॉ. राजीव अग्रवाल और डॉ. सुशील कुमार** के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने सदैव अपने महत्त्वपूर्ण सुझावों से मेरी शोध सम्बन्धित कठिनाइयों का निर्वारण किया।

मैं फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में स्थित प्राथमिक विद्यालय (प्रस्तुत अध्ययन मे लिए गये) के प्रधानाचार्य व शिक्षको का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से ही सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हुआ है।

मैं अतर्रा महाविद्यालय के प्रार्चाय **डॉ. रमेश चन्द्र अग्निहोत्री** का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ , जिनकी प्रेरणा से मेरा मनोबल सदैव ऊँचा रहा।

मै अपने पूज्य पिता जी **श्री राम सनेही लाल** व माँ **श्री मती चन्द्र किरन** एवं बड़े भाई **श्री आलोक कुमार सिंह** को अपनी लघुशोध प्रबन्ध का श्रेय देती हूँ। जिनकी प्रेरणा, आशीर्वाद, प्रोत्साहन व सहयोग से यह लघुशोध प्रस्तुत करने मैं सफल हो सकी। जो सदैव मेरे को आगे बढने के लिए प्रेरित करते है।

मैं अपने सभी सहयोगियो, मित्रो व सहपाठियों का पूर्ण श्रद्धा से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होने मेरे इस शोध कार्य में विभिन्न तरह से सहायता प्रदान की है।

शोधार्थिनी

दिनांक 27-03-2015

स्थानः– अतर्रा

कु. ज्योति

एम. एड. छात्रा

शिक्षा विभाग
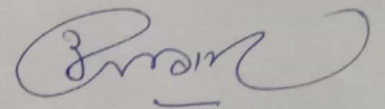
अतर्रा पी0 जी0 कालेज अतर्रा , बाँदा

शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि कु. ज्योति पुत्री श्री राम सनेही लाल एम0एड0 छात्रा सत्र 2014–15 द्वारा **"फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण"** शीर्षक से प्रस्तुत यह लघुशोध प्रबन्ध में उनका मौलिक कार्य है।

मैं इस लघु शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन के लिये प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान करता हूँ।

शोध निर्देशक

डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग

दिनांक 27.03.15
स्थानः– अतर्रा

अतर्रा पी0 जी0 कालेज अतर्रा, बाँदा

घोषणा पत्र

मैं कु. ज्योति पुत्री श्री राम सनेही लाल एम0एड0 छात्रा सत्र 2014–15 अतर्रा पी0 जी0 कालेज, अतर्रा (बांदा) यह घोषित करती हूँ, कि **"फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण"** शीर्षक से प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध मेरे द्वारा किया गया मौलिक कार्य है।

इसे न तो कहीं प्रस्तुत किया गया है, और न ही कहीं प्रकाशित किया गया।

शोधार्थिनी

Jyoti

कु. ज्योति
एम.एड. छात्रा
शिक्षा विभाग

दिनांक 27-03-2015
स्थानः– अतर्रा

विषय–सूची

विवरण **पृष्ट स.**

सारिणी सूची

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

1.1 शिक्षा

शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति और समाज दोनों से है, या यह कहना अधिक ठीक होगा कि उसका सम्बन्ध समाज में व्यक्ति की स्थिति के साथ है। इसलिए शिखा की प्रत्येक पद्धति को इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए – क्या उससे वैयक्तिक क्षमताओं के विकास को प्रोत्साहन मिलता है और क्या इस विकास के दौरान वह व्यक्ति को पर्याप्त रूप से उसके विकासवान सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढाल देती है? दूसरे शब्दों में, क्या हमारे विद्यालय बच्चों के श्रेष्ठतम तथा विलक्षण गुणों को विकसित करने में सफल होते हैं? क्या वे इन बच्चों को इस बात की सुविधाएं और अवसर प्रदान करते हैं कि उनकी विशेष प्रतिभाएं और प्रबल स्वाभाविक प्रवृतियाँ विकसित हो सकें, ताकि आगे चलकर उनका उपयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सके। क्या वे भारतीय विद्यार्थियों को उनके वातावरण के अनुकूल ढाल देते हैं – उन सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल जिनके बीच उसे रहना है, और जिनसे उसे अपनी जीवन चर्चा का विशेष रंगरूप ग्रहण करना है?

गत पचास वर्षों में अन्य देशों में 'नये स्कूल' खुले हैं और कई शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग किये गये हैं। आज जिस रूप में परम्परागत विद्यालय हैं उनमें और 'नये स्कूल' में प्रमुख अन्तर क्या है? बच्चे के प्रति अपने दृष्टिकोंण में दैनिक जीवन की समस्याओं के क्षेत्र के प्रति अपने व्यवहार में भी नया परम्परागत स्कूल से भिन्न है। वह बच्चे की स्वतन्त्रता को महत्व देता है। वह इस धारणा से प्रेरणा लेता है कि बच्चे का विकास केवल उसी

दशा में सुनिश्चित बनाया जा सकता है जब उसकी जन्मजात शक्तियों तथा क्षमताओं और उसकी बाह्य परिस्थितियों के बीच फलप्रद क्रिया–प्रतिक्रिया का पूरा अवसर प्रदान किया जाय। 'नया स्कूल' बच्चे के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करे जो यथा सम्भव अधिक से अधिक समृद्ध, सक्रिय तथा उल्लासमय हो, जिसमें खेलकूल, सहयोग, शारीरिक श्रम, सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्यों और अपने आप पसन्द की गयी पुस्तकों तथा विषयों के अध्ययन के लिए पूरा अवसर हो और जब इस प्रकार का वातावरण योजनानुसार उपलब्ध कर दिया जाय तो बच्चों को उन सभी गतिविधियों में पूरी तरह भाग लेने का अवसर दिया जाय, जो उसकी आयु और उसकी रूचियों के अनुकूल हों।

आधुनिक 'प्रगतिशील स्कूल' केवल जानकारी प्रदान करने के स्थान पर अनुभव प्रदान करने की चेष्टा करता है और अपनी विषय वस्तु के लिए अनुभव के सबसे महत्वपूर्ण तथा चिरस्थायी पहलुओं को चुनता है और फलस्वरूप स्कूल के जीवन को सक्रिय तथा अर्थपूर्ण बना देता है।

नवीन चन्द्र जोशी के अनुसार, 'शिक्षा स्वतन्त्रता दिलाने वाली एक शक्ति है और जो जाति तथा श्रेणी के भेदभाव को दूर करती है तथा जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न असमानताओं को कम करती है। शिक्षा द्वारा हम केवल भूतकाल के विषय में ही नहीं जानते बल्कि यह भविष्य को सुन्दर बनाती है।

के.जी. सेयदन के अनुसार, 'शिक्षा समाज को प्रभावित करती है और स्वयं भी समाज से प्रभावित होती है। समाज या सामाजिक शक्तियां शिक्षा के माध्यम से सभ्यता, संस्कृति और सामान्य उद्‌देश्यों को सफल बनाती है।' यही कारण है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हो, लेकिन शिक्षा

की समस्या को प्राथमिकता दी जाती है। शिखा के बिना समाज नहीं रह सकता। उसके बिना व्यक्ति तथा समाज का आधार, उद्देश्य चरित्र और व्यक्तित्व की स्थापना सम्भव नहीं हो सकती। शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों माध्यमों से सम्भव होता है। इन दोनो माध्यमों से व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्युपर्यनत् शिक्षा प्राप्त करता रहता है। जीवन का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से ही चरित्रार्थ होता है।

1.2 भारत में शिक्षा का प्रबन्ध

भारत में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है। अतः प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था तथा देखभाल का दायित्व भी सरकार के ही ऊपर है। सन् 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरु किया गया और प्राथमिक विद्यालयों का दायित्व जिला बोर्ड और नगर पालिका का था। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में जिला बोर्ड विद्यालयों का प्रबन्ध करते थे। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरान्त व्यापक शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य की ओर से व्यापक प्रयास किया गया तथा नगरों और ग्रामों में राज्य की ओर से अनेक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए सच शिक्षण दल बनाये गये जो कुछ महीनों का प्रशिक्षण देकर अध्यापकों को तैयार करते थे। इस प्रकार छात्रों और विद्यालयों की संख्या में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई। जैसा कि, सारिणी :– 1.1, 1.2 और 1.3 मे फिरोजाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या व उसमे पंजीकृत होने वाले छात्रों की संख्या से स्पष्ट है।

सारिणी 1.1 फिरोजाबाद जनपद में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों का पंजीयन

कक्षा	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	61980	63813	65041	69385
2	62712	57532	60928	61951
3	60892	59624	54871	60220
4	56969	56619	55218	51822
5	53886	54157	52843	51746
योग	296439	291745	288901	295124

स्रोत– राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय; नई दिल्ली 2010–11; 2011–2012

सारिणी 1.2 फिरोजाबाद जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2011

क्षेत्र	विद्यालय श्रेणी		
	सरकारी विद्यालय	निजी विद्यालय	कुल योग
शहरी क्षेत्र	38	90	128
ग्रमीण क्षेत्र	1353	305	1658
कुल योग	1391	395	1786

स्रोत– राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय , नई दिल्ली 2010–11; 2011–2012

सारिणी 1.3 :– फिरोजाबाद जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की सख्या का पंजीयन 2011

क्षेत्र	विद्यालय श्रेणी		
	सरकारी विद्यालय	निजी विद्यालय	कुल योग
शहरी क्षेत्र	132428	76329	208757
ग्रमीण क्षेत्र	2965	24111	27076
कुल योग	135393	27076	235833

स्रोत– राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय; नई दिल्ली 2010–11; 2011–2012

शिक्षा के पर्याप्त विकास के उपरान्त सभी जिला बोर्ड तथा नगरपालिकायों द्वारा संचालित विद्यालयों का दायित्व राज्य सरकार ने ले लिया तथा 1973 से प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्ध राज्यृलीह सरकार के माध्यम से होता है।

1.3 फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था

फिरोजाबाद जनपद यद्यपि एक औद्योगिक क्षेत्र है ,तथापि शिक्षण संस्थाओं की पर्याप्त संख्या इस जनपद में विद्यमान है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और डिग्री स्तर से सम्बन्धित महाविद्यालयों की पर्याप्त संख्या है। जहॉ तक महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों का प्रश्न है। उनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्रक्रिया में एक रुपता है, इस विषय में उनका सर्वेक्षण भी किया गया है, किन्तु प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था व उनकी शैक्षिक गतिविधियों में प्रायः एकरुपता नही है, इसलिए टूण्डला

तहसील में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था व संचालन विभिन्न संस्थाओं या अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में 213 प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद की देख–रेख में तथा 61 मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल ऐसे है, जो अन्य अभिकरणों द्वारा चलाये जाते है। इस प्रकार फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में कुल 274 प्राथमिक विद्यालय है। किन्तु यह भी सम्भव है, कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किये बिना ही कुछ अन्य विद्यालय भी चल रहे है।

'बेसिक शिक्षा परिषद' के विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि समाज के निर्धन वर्ग के बालक इस सुविधा का लाभ उठा सकें। परन्तु इस निःशुल्क शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि समाज के उच्च तथा मध्यम वर्ग वाले अपने बालकों को इन विद्यालयों में भेजने में उत्साह नहीं दिखाते तथा उनका यही प्रयास रहता है कि अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजकर अच्छी शिक्षा सुलभ करा सकें। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। इन विद्यालयों के साधन सीमित हैं, फलतः उचित शैक्षणिक वातावरण का अभाव है। शिक्षकों का बौद्धिक स्तर तथा शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति एवं रूचि निम्नस्तरीय है। शिक्षकों में अपनी वर्तमान दशा के प्रति क्षोभ तथा असन्तोष व्याप्त है। अन्य विद्यालयों की तुलना में उनके विद्यालय भवन निम्न कोटि के हैं। परिणामस्वरूप वे रूचि, लगन और परिश्रम के साथ अध्यापन कार्य में उत्साह नहीं दिखाते।

सरकारी विद्यालयों की दयनीय अवस्था के कारण विद्यार्थियों का विद्यालयों में ठहराव जहाँ कम होता है। वही विद्यालय छोडने की दर भी अधिक होती है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार की मीड–डे–मील योजना लागू की गई ताकि बच्चों का अधिक से अधिक ठहराव विद्यालय में हो सके और बच्चों के विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आये।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों की असन्तोषजनक व्यवस्था के परिणामस्वरूप टूण्डला तहसील में अनेक निजी संस्थाओं का जन्म हुआ है, जहाँ नवीन शिक्षण विधियों जैसे– नर्सरी, मान्टेसरी और किण्डरगार्टेन आदि शिक्षण विधियों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। ये स्कूल प्रायः कुछ आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होते हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी अपेक्षाकृत अच्छी होती है। शिक्षकों तथा छात्रों का शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तर भी प्रायः उच्चकोटि का होता है। यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना पसन्द करते हैं। निजी स्कूलों की संख्या तथा लोकप्रियता में वृद्धि का एक कारण यह है कि प्रायः सभी सरकारी स्कूल जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं से प्रारम्भ होते हैं अतः अभिभावकों के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं कि या तो वे अपने बच्चों को बेसिक स्कूल में भेजें या फिर अत्यधिक महंगे कान्वेन्ट स्कूलों में भेजें। अतः उनके लिए प्रवेश सम्बन्धी कठिनाइयों से बचने के लिए एक मात्र उपाय यह रहता है कि वे अपने बच्चों को निजी संस्थाओं में पढ़ने के लिए भेज दें। निजी संस्थाओं के स्कूल प्रचार व दृश्य–श्रव्य सामग्रियों के प्रदर्शन द्वारा अपना आकर्षण बढ़ाते हैं। इस तरह के अधिकतर विद्यालयों के पास छात्रों को लाने तथा ले जाने हेतु वाहन की भी व्यवस्था होती है।

एस.बी. अदावल (1968) के अनुसार, ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित कान्वेन्ट स्कूलों की परम्परा बहुत प्राचीन है। सम्भवतः अंग्रेजों के भारत में पांव जमाने के बाद से ही ईसाई मिशनरियों ने कान्वेन्ट स्कूलों के माध्यम से भारतीय जनता को विदेशी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा पद्धति का परिचय देना प्रारम्भ कर दिया था। 1947 के पूर्व सामान्य भारतीय नागरिक अपने बच्चों को पश्चिमी सभ्यता के गुलाम हो जाने के भय से इन कान्वेन्ट स्कूलों में आधुनिक शिक्षा तथा पर्याप्त साधनों की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यह स्थिति एकदम बदल गयी और अंग्रेजों के जाने के बाद पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की प्रवृति तेजी से बढ़ गई। फलस्वरूप इन कान्वेन्ट स्कूलों की लोकप्रियता घटने के स्थान पर तेजी से बढ़ी तथा उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इनका प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। अतः पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त यहाँ पाठ्य–सहगामी क्रियाओं पर अधिक जोर दिया जाता है।

इन दिनों फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में नर्सरी स्कूलों की बाढ़ सी आ गयी है। प्रायः हर गली में नर्सरी या प्राइमरी स्कूल का बोर्ड दिखाई पड़ जाता है। इन स्कूलों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण क्षेत्र में अच्छे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की समस्या है और दूसरा कारण, इनके माध्यम से आर्थिक लाभ का अर्जन है। इसलिए निजी स्कूलों का स्वरूप धीरे–धीरे व्यावसायिक बनता जा रहा है। टूण्डला क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवक–युवतियों की एक बड़ी संख्या में है, जो इन विद्यालयों में कम वेतन पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार नर्सरी

स्कूलों की वृद्धि का एक अन्य कारण सस्ते अध्यापकों का सुलभ होना भी है।

कोठारी कमीशन (1964–66) के अनुसार, 'संविधान के अनुच्छेद 45 में भी राज्य सरकारों को 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था सम्बन्धी प्रयत्न करने का निर्देश दिया गया है। किन्तु इस दिशा में किन्हीं कठिनाइयों के कारण राज्य सरकारों ने कोई सन्तोषजनक प्रयास नहीं किया है। पूर्व प्राथमिक स्कूलों की स्थापना सर्वप्रथम सामाजिक जरूरते पूरी करने के लिए गयी थी, जैसे– कामगर माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए शहरी परिवारों के छोटे लड़के–लड़कियों के लिए उपयुक्त परिवेश की व्यवस्था। क्योंकि उनके छोटे–छोटे घर या फ्लैट बच्चों के समुचित विकास के लिए उपयुक्त नहीं थे। ये स्कूल गन्दी बस्तियों या गरीब परिवारों के बच्चों के असन्तोषप्रद परिवेश की कमी पूरी करने की भी कोशिश करते थें, अब हाल में इस स्तर का शैक्षिक महत्व और अधिक समझा जाने लगा है। आधुनिक अनुसंधानों ने यह दिखा दिया है कि बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की दृष्टि से तीन से दस वर्ष तक के बच्चे सर्वाधिक महत्व के हैं। यह भी देखा गया है, कि जो बच्चे पूर्व प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, वे प्राथमिक स्तर पर आकर अधिक अच्छी प्रगति कर लेते हैं और इस तरह व्यर्थता (वेस्टेज) और प्रगति (स्टेगनेशन) कम करने में सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षा नीति में आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि विशेषकर असन्तोषप्रद घरेलू पृष्ठभूमि वाले बच्चों के बारे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाय।

कोठारी कमीशन के अनुसार, दुनिया के अग्रवर्ती देशों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विकास का ध्यान से अध्ययन करने पर पता चलता है,

कि यह कार्यक्रम तीन अवस्थाओं में पूरा किया जाता है, जिनमें ये बाते अपेक्षित हैं –

1. हर बच्चे के घर से आसानी से पहुचनें योग्य दूरी पर स्कूल की व्यवस्था की जाय।
2. विहित आयु के हर बच्चे का प्रचार द्वारा समझाकर और जरूरी हो तो दंडात्मक कार्यवाही करके भी किसी स्कूल की एक कक्षा में नामांकन किया जाय।
3. हर नामांकित बच्चे को स्कूल में तब तक रोकें रखा जाय, जब तक वह विहित आयु का न हो जाय या विहित पाठ्यक्रम पूरा न कर ले।

1.4 समस्या की अनुमूति

फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिनसे यह ज्ञात हो सके कि इस तहसील में प्राथमिक शिक्षा की क्या व्यवस्था है और उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है। **स्वामी रामतीर्थ के अनुसार**, शिक्षा सारे विकास की रीढ़ है और समस्याओं के समाधान का एक सशक्त साधन भी उच्च शिक्षा की बुनियाद प्राथमिक शिक्षा पर आधारित है। मानव विकास एवं भावी जीवन की जीवन्तता के साथ जीने की जीजिविषा और समस्याओं से जूझने सम्बन्धी आवश्यक गुणों का प्रतिरोपण व आवश्यक योग्यताओं का विकास बालक में प्राथमिक कक्षा से ही प्रारम्भ हो जाता है।

इस प्रकार फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में विभिन्न अभिकरणों द्वारा चलाये जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की वर्तमान व्यवस्था एवं क्षेत्र में इस स्तर की शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर आधिकारिक एवं प्रामाणिक ढंग से कुछ कह पाने की दृष्टि से जानकारी का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। अतः इस सम्बन्ध में प्रामणिक जानकारी का अभाव एक समस्या थी जिसका समाधान सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है।

1.5 समस्या का महत्व

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा, विकास एवं ज्ञानार्जन की दिशा में क्रमिक व परस्पर सम्बन्धित सोपान है। इस दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। अतः फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा चूंकि विभिन्न अभिकरणों द्वारा दी जाती है अतः उनकी व्यवस्था व उनके पैटर्न में भिन्नता होना आवश्यक है। विभिन्न पैटर्न पर चलने वाले विद्यालयों से पढ़कर छात्र अब अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए विद्यालयों में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें विभिन्न पैटर्न से पढ़कर आये छात्रों के साथ समायोजन की कठिनाई आती है। अतः फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण करना सर्वथा आवश्यक, प्रासंगिक व

महत्वपूर्ण है। ताकि विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित विद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उनके बीच शैक्षिक कार्यक्रमों की एकरूता और विद्यालयीय कठिनाइयों व समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक किन्तु व्यावहारिक व उपयोगी सुझाव दिये जा सकें।

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई कि अनेक अभिकरणों से चलने वाले विद्यालय जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनके उद्देश्य व शिक्षण कार्य और पाठ्यक्रम का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकालना था कि वे देश और समाज के लिए कितने उपयोगी हैं और इस दिशा में उनमें क्या सुधार किया जा सकता है।

अध्याय द्वितीय

सम्बन्धित शोध साहित्य का अनुशीलन

2.1 प्राथमिक शिक्षा : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास ब्रिटेन की गृहनीति से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जैसा कि अन्सारी (अन्सारी, एम.ए.; ए स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट आफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आफ एलीमेन्टरी एजूकेशन इन इंग्लैण्ड एण्ड इट्स बियरिंग आन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमेन्टरी एजूकेशन इन एजूकेशन, बड़ौदा, 1961) ने स्पष्ट किया है। इंग्लैण्ड में 1883 में 'द रिफार्म एक्ट' बना जिसके अन्तर्गत देश में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सर्वप्रथम शैक्षिक अनुदान (ग्रान्ट) प्रदान किया गया। सन् 1839 में, 'द कमिटी ऑफ काउन्सिल ऑफ एजूकेशन' की नियुक्ति की गयी। इस काउन्सिल का निर्माण महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके माध्यम से राज्य की सेन्ट्रल बाडी ने इंग्लैण्ड में शिक्षा के विकास के लिए विधेयात्मक प्रयास शुरू किया।

इंग्लैण्ड में किये गये इस प्रयास और इस उदाहरण का अनुकरण करते हुए उसी तरह की सरकारी एजेन्सियों ने भारत में कई तरह की प्रसीडन्सीज की स्थापना की। थामसन की योजना, जिसके द्वारा उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को संगठित व प्रशासित किया गया था, इंग्लैण्ड में किये गये शैक्षिक विकास से प्रत्यक्षतः प्रभावित था। आगे चलकर 1854 में 'वुड्स डिस्पैच' ने भारत में 'वालेन्टरी सिस्टम ऑफ स्कूल्स' को संगठित किया जिसकी देखभाल राज्य के द्वारा होती थी, क्योंकि स्पष्ट कारणों से स्वैच्छिक प्रयास भारत में असफल हुए। इस सामयिक असफलता के फलस्वरूप 1853 के डिस्पैच ने यह सिफारिश की कि राज्य को

सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए जो अनिवार्य वृद्धि दर पर होनी चाहिए।

इंग्लैण्ड में प्रत्यक्ष प्रभाव के अन्तर्गत भारत में 1853 से शिक्षा का विकेन्द्रीकरण धीरे–धीरे होने लगा। 1870 में 'लार्ड मायो' द्वारा राज्य–स्तर पर यह विकेन्द्रीकरण प्रोत्साहित किया गया और आगे चलकर 'लॉर्ड लिटन' द्वारा भी यह प्रोत्साहित किया गया। लेकिन ब्रिटिश का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शिक्षा पर 1870 के 'शिक्षा अधिनियम' का पड़ा, जब 1882 में 'हण्टर कमीशन' ने 'स्कूल बॉर्ड' की स्थापना की सिफारिश की, जो इंग्लैण्ड में प्रचलित पैटर्न से कमोबेश साम्य रखते हों। आगे चलकर शैक्षिक प्रशासन में यह विकेन्द्रीकरण 'लॉर्ड रिपन' द्वारा प्रभावित हुआ जब उन्होंने 'हण्टर कमीशन' की सिफारिशों को क्रियान्वित किया। उन्होंने 'लोकल बोर्ड' और 'म्यूनिसिपैलिटीज' की स्थापना की और इन 'लोकल बॉडीज' को प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन का काम सौंपा। हण्टर कमीशन ने 'पेमेन्ट बाइ रिजल्ट्स' सिस्टम की भी सिफारिश की थी। इसका शीघ्र क्रियान्वयन प्रामाणिक नहीं था। क्योंकि देश में इस सिस्टम के क्रियान्वयन के पीछे केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना था और यह दिखाना था कि इस सिस्टम से शीघ्र अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

ब्रिटेन की गृहनीति इस शताब्दी में भारत की शैक्षिक प्रवृत्ति को निरन्तर एक सांचे में ढालने को थी। 'लॉर्ड कर्जन' द्वारा सुधार सम्बन्धी कार्य प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैण्ड में किये गये मुख्य शैक्षिक सुधार की भावना से ओत–प्रोत थे। प्राथमिक शिक्षा को पुनः परिभाषित किया गया जिसमें; 'गुणात्मक सुधार' पर बल दिया गया। 'पेमेन्ट बाइ रिजल्ट्स' के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के लिए एक अनिवार्य कार्य माना गया। इसी प्रकार 1903 के सरकारी प्रस्ताव का

लक्ष्य भारत में इंग्लिश पैटर्न पर एक व्यापक शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना था।

2.2 भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रयास

भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ 150 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुआ। देसाई, (देसाई, डी.एम. यनिवर्सल कम्पल्सरी एण्ड फ्री प्राइमरी एजूकेशन इन इंडिया, बाम्बे 1951) ने अपने अध्ययन में बताया कि इस दिशा में मिशनरियों और सरकार के कुछ यूरोपीय कर्मचारी अग्रसर हुए और इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया। लेकिन बाद में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए भारतीयों ने व्यापक संघर्ष किया।

सार्वभौमिक और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रयास के इतिहास को 7 काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है –

1. प्रथम कालखंड 1813 से प्रारम्भ होता है जब सरकार ने लोगों की शिक्षा के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। प्रथम कालखंड की समाप्ति 1882 में हुई जब 'भारतीय शिक्षा आयोग' की नियुक्ति की गयी।
2. द्वितीय कालखंड 1882 से 1910 तक का है। जिसमें गोखले 'अनिवार्य शिक्षा' सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को लेकर आगे आये। इस कालाविध में अनिवार्य शिक्षा के लिए भारतीय नेताओं द्वारा आन्दोलन आरम्भ किये गये, किन्तु इस दिशा में प्राप्त सफलता अत्यल्प थी, जिसका मुख्य कारण सरकार की नीतियाँ पर व्यापक प्रभाव डालने की दृष्टि से जनसमर्थन की पर्याप्त शक्ति को जुटाने का अभाव था। इसी अवधि में बड़ौदा के महाराजा शिवाजीराव ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को 1893 में अपने राज्य के एक भाग में

'प्रयोगात्मक लक्ष्य' (एक्सपेरीमेन्टल मेजर्स) के रूप में प्रारम्भ किया जो 1906 तक सम्पूर्ण राज्य में फैल गया।

3. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का तीसरा कालखंड 1910 से 1917 तक का है। इस काल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त को सरकार द्वारा स्वीकार करने सम्बन्धी गोखले द्वारा किया गया सारा प्रयास लगभग व्यर्थ सिद्ध हुआ।
4. चौथा कालखंड 1918 से 1930 तक का है जिसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त का एक–एक कर प्रत्येक राज्य ने स्वीकार किया और ब्रिटिश भारत के लगभग हर प्रान्त की विधि पुस्तक में अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून का प्रावधान किया गया।
5. अनिवार्य शिक्षा के इतिहास का पांचवा कालखंड 1930 से 1950 तक का है। इस अवधि में अनिवार्य शिक्षा को 'प्रयोगात्मक लक्ष्य' (एक्सपेरीमेन्टल मेजर्स) के रूप में कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया।
6. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के इतिहास का छठवां कालखंड 1950 में देश के सभी भागों में अनिवार्य शिक्षा के लिए व्यापक निश्चयात्मक प्रयास किये गये। अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषित किया गया 'राज्य संविधान के निर्देश से 10 वर्षों के अन्दर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को देने का प्रयत्न करेगें'। किन्तु इसमें पर्याप्त साधनों की कमी, जनसंख्या में भारी वृद्धि, लड़कियों की शिक्षा में रूकावटें, पिछड़े वर्गों के बच्चों की बहुसंख्या, लोगों की सामान्य गरीबी, निरक्षरता और उदासीनता जैसी बड़ी–बड़ी दिक्कतों की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा में पर्याप्त प्रगति करना सम्भव न हुआ और संविधान के निर्देश की पूर्ति न हो पायी।

7. देश में निःशुल्क और अनिर्वाय शिक्षा की दिशा में सातवां कालखण्ड 2000 के पश्चात शुरू होता है। जिसमें केन्द्र सरकार ने एक अत्यतं महत्वकांछीय योजना शुरू की, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। इसके अर्न्तगत ऐसे बच्चे आते है; जो प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेते है। उन सभी को अभियान चलाकर प्राथमिक शिक्षा के दायरें में लाना था। इसी अभियान के तहत जुलाई के महीने में स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ताकि जो बच्चे अभी तक शिक्षा से वंचित है; उन्हे प्रवेश दिया जा सकें। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चो के ठहराव और उनके विद्यालय छोडने की दर में कमी लाने की द्वष्टि से मीड–डे–मील को भी लागू किया गया है। सन् 2001 में निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया। जिसका उद्‌देश्य 6–14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के मार्ग में आधार–भूत संरचना एवं धन की कमी है। फिर भी इस दिशा में निरन्तर प्रगति हो रही है।

सारिणी 2.1:– भारत में प्राथमिक विद्यालयों तथा विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)
1950–51	209671	191.5
1960–61	330399	349.9
1968–69	400621	543.7
1970–71	408378	570
1974–75	450950	648.5
1978–79	472519	689.6
1980–81	494503	738
1982–83	503741	770.4
1986–87	522131	899.9
1989–90	530171	973.2
1990–91	560935	974
1998–99	589692	1109.3
2000–01	638738	1138
2004–05	767520	1308.5
2005–06	772568	1321.5
2010–11	827244	1353
2011–12	842481	1372.5
2012–13	853870	1385
2013–14	858916	1400

स्रोत :– पाण्डेय, राम शकल "भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं" अग्रवाल प्रकाशन आगरा, 2010 पेज न0: – 77–78

लाल, रमन बिहारी "भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं" रस्तोगी प्रकाशन मेरठ, 2011–12 पेज न0 : – 378

2.3 प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन

बापत (1957) ने प्राथमिक शिक्षा के दर्शन और प्रधानाध्यापिकाओं और अन्य अध्यापिकाओं की शैक्षिक योग्यता एवं उनके प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। देसाई (1970) ने शैक्षिक उपलब्धि पर किन्डरगार्टेन शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया और बताया कि जिन छात्रों को दो वर्ष का प्रशिक्षण किन्डरगार्टेन में दिया गया था और जिन छात्रों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, उनके बीच हस्तलेख, शीलगुण और उपलब्धि की दृष्टि से कोई सार्थक अन्तर नहीं था। 'सेट जैवियर्स इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन' द्वारा 1970 में बम्बई में मान्टेसरी कक्षाओं पर किये गये सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि वहाँ अधिकांश विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी जबकि केवल थोड़े से विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम मराठी और गुजराती भाषा थी। लगभग 50 प्रतिशत अध्यापक मान्टेसरी ट्रेन्ड थे। 37 विद्यालयों में मूल उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था और 12 विद्यालय परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे। इन विद्यालयों को जिन विशिष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उनमें प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, उच्च छात्र–अध्यापक अनुपात और अध्यापकों में मान्टेसरी पद्धति के ज्ञान का अभाव आदि मुख्य थे। 'सर्वेक्षण यूनिट एन.सी.आर.टी.' 1970 द्वारा हैदराबाद, सिकन्दराबाद और दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यताविहीन विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अग्रेंजी पाया गया। 'बाम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन' द्वारा किये गये एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि गरीब परिवारों के बच्चों की बड़ी संख्या सात वर्ष की आयु से पूर्व वहां के विद्यालयों में प्रवेश लेने में असफल हो जाती है। जब कि अच्छे आर्थिक–सामाजिक स्तर के बालकों को और पहले ही प्रवेश मिल जाता है।

(1964) ने एक अध्यापक वाले विद्यालयों पर एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया जिसमें उन्होनें यह निष्कर्ष प्रदान किया कि नयी प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धतियाँ व परम्परागत शिक्षण पद्धतियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली एवं अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्रदान करने वाली हैं। शर्मा (1973) ने पंजाब राज्य में प्राथमिक शिक्षा पर प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों के प्रभाव का अध्ययन किया। बोस और उनके सहयोगियों (1972) ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को उपलब्ध कार्य सुविधाओं और उनमें सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया।

उपर्युक्त अध्ययन प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी पक्ष विशेष पर किये गये हैं, किन्तु किसी क्षेत्र विशेष में प्राथमिक शिक्षा के सभी पक्षों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जबकि इस प्रकार का सर्वेक्षण व इस स्तर की शिक्षा का वर्तमान स्थिति पर प्रामाणिक ज्ञान आवश्यक है। अतः इसी आवश्यकता से यह अध्ययन सम्प्रेरित है।

2.4 समस्या कथन

इस सर्वेक्षण का विषय है – **"फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण"**।

2.5 अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।–

1. यह ज्ञात करना कि प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध टूण्डला तहसील में कितने तरह के अभिकरणों द्वारा किया गया है?
2. यह ज्ञात करना कि विद्यालय में कौन सी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं? और उन्हें किस स्रोतों से धन प्राप्त होता है?

3. यह ज्ञात करना कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं?
4. विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों व शैक्षिक क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करना।
5. यह ज्ञात करना कि इन विद्यालयों में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है?
6. यह ज्ञात करना कि इन विद्यालयों में कौन–कौन से पाठ्य–सहगामी क्रियाकलाप चलते हैं, और उनकी क्या व्यवस्था है?
7. शिक्षक छात्र अनुपात एवं शिक्षकों की शैक्षिक स्थिति का पता लगाना।
8. प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के संचालन व विकास में आने वाली समस्याओं व कठिनाइयों का पता लगाना।

2.6 अध्ययन में आये पदों की परिभाषा

1. प्राथमिक शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा से आशय कक्षा एक से कक्षा पांच तक की शिक्षा से है।

2. अभिकरण :

प्राथमिक विद्यालयों को संचालित करने वाले ऐसे अभिकरण जो केवल इन विद्यालयों के संचालन के लिए हैं अथवा अन्य उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त इन विद्यालयों का संचालन भी करते हैं। जैसे – बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्याल, क्रिश्चियन स्कूल, महाविद्यालयों से सम्बद्ध

तृतीय अध्याय

शोध प्रारूप व प्रक्रिया

इस अध्याय में शोध प्रारूप व प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्न 5 बातों का उल्लेख किया गया है –

1. शोध विधि
2. न्यादर्श
3. शोध के उपकरण (टूल)
4. प्रदत्त संग्रह की विधि
5. प्रदत्त विश्लेषण की विधि

3.1 शोध विधि

इस अध्ययन में 'सर्वेक्षण विधि' का प्रयोग किया गया है। क्योंकि फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में तथ्य प्राप्त करने की दृष्टि से सर्वेक्षण के अतिरिक्त कोई अन्य विधि उपयुक्त प्रतीत नहीं हुई है।

3.2 न्यादर्श

फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 274 है। जिनमें से न्यादर्श के रूप में 50 विद्यालयों का याद्यच्छिक रूप से चयन किया गया है। न्यादर्श में सम्मिलित विद्यालयों का वर्गीकरण अभिकरणों के आधार पर किया गया है जो सारिणी–3.1 में प्रदर्शित है –

सारिणी –3.1 प्राथमिक विद्यालयों की सूची के प्रकार व संख्या

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विद्यालयों की संख्या
1	बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालय	22
2	क्रिश्चियन विद्यालय	2
3	महाविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालय	2
4	विद्याभारती द्वारा संचालित विद्यालय	4
5	निजी प्रयास से संचालित विद्यालय	19
6	स्वतन्त्र रूप से संचालित विद्यालय	1
	योग	50

3.3 शोध के उपकरण

उपकरण के रूप में प्रस्तुत शोध में प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता ने स्वयं इस हेतु प्रश्नावली निर्मित किया है। (परिशिष्ट–1) प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रस्तुत अध्ययन हेतु जिन आवश्कय सूचनाओं एवं तथ्यों की आवश्यकता थी उनसे सम्बन्धित प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली को 7 उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है। उपशीर्षक का नाम व उसके अन्तर्गत प्रश्नों की संख्या को सारिणी–3.2 में प्रदर्शित किया गया है –

सारिणी – 3.2 प्रश्नावली के उपशीर्षकों का नाम व प्रश्नों की संख्या

क्र.सं.	प्रश्नावली के उपशीर्षक	प्रश्नों की संख्या
1	विद्यालय प्रबन्ध	6
2	छात्र का स्वरूप एवं उसकी पृष्ठभूमि	7
3	विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं भौतिक सुविधाएं	14
4	विद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य	4
5	अध्यापक/अध्यापिकाओं सम्बन्धी विवरण	3
6	शिक्षणविधि एवं शैक्षिक क्रियाएं और मूल्यांकन	7
7	पाठ्यक्रम, पाठ्यसहगामी क्रियाएं एवं निर्देशित पुस्तकें	4
	योग	45

3.4 प्रदत्त संग्रह की विधि

आंकड़ों एवं तथ्यों के संग्रह हेतु 50 विद्यालयों को लिया गया है। शोधार्थिनी ने स्वयं प्रत्येक विद्यालय में जाकर प्रश्नावली को भरवाया और इस प्रकार सूचनाएं प्राप्त कीं।

3.5 प्रदत्त विश्लेषण की विधि

सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं को प्रश्नावली में उल्लिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए प्रतिशत और मध्यमान का प्रयोग किया है।

चतुर्थ अध्याय

परिणाम व विवेचना

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण प्रश्नावली में अन्तर्निहित शैक्षिक आयामों एवं सर्वेक्षण के उद्देश्यों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणामों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर उनकी प्रस्तुति एवं विवेचना की गयी है।

1. विद्यालय प्रबन्ध
2. छात्र का स्वरूप एवं उसकी पृष्ठभूमि
3. विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं भौतिक सुविधाएं
4. विद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य
5. अध्यापक/अध्यापिकाओं सम्बन्धी विवरण
6. शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन
7. पाठ्यक्रम, पाठ्यसहगामी क्रियाएं एवं निर्देशित पुस्तकें

4.1 विद्यालय प्रबन्ध

इस भाग के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों से संचालित होने वाले विद्यालयों में प्रबन्ध समिति, विद्यालय के रजिस्टर्ड होने अथवा न होने, उनकी मान्यता, और शुल्क सम्बन्धी जानकारियों को प्राप्त किया गया। इन सभी पक्षों की वर्तमान स्थिति सारिणी :– 4.1 में प्रदर्शित है।

सारिणी 4.1 :– विद्यालय प्रबन्ध

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ प्रबन्ध समिति है	विद्यालय की मान्यता			औसत शुल्क	
				स्थायी	अस्थायी	मान्यता विहीन	प्रवेश के समय	मासिक
1	बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय	22	22	22	–	–	–	–
2	क्रिश्चियन विद्यालय	2	2	2	–	–	10000 रू .	1300 रू.
3	विद्या भारतीय से संचालित विद्यालय	4	4	4	–	–	3000रू.	600रू.
4	निजी प्रयास से संचालित विद्यालय	19	18	14	–	5	4000रू.	800रू.
5	महाविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालय	2	2	2	–	–	2000रू.	500रू.
6	स्वतन्त्र विद्यालय	1	–	1	–	–	2000रू.	400रू.

सभी विद्यालयों में लगभग सभी विद्यालय की व्यवस्था संचालन हेतु प्रबन्ध समिति है लेकिन उनके स्वरूप, कार्यविधि एवं सदस्यता की शर्तों एवं विचार के विषयों में गुणात्मक भिन्नता है। सभी अभिकरणों से चलने वाले सभी 50 विद्यालयों में प्रबन्ध समिति है। इन 50 विद्यालयों में 45 विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, एक भी विद्यालय अस्थीय मान्यता प्राप्त नही हैं और 5 ऐसे विद्यालय हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है। सभी विद्यालय रजिस्टर्ड हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सर्वाधिक शुल्क क्रिश्चियन विद्यालयों में लिया जाता है जिसमें प्रवेश के समय 10000 रू. एवं 1300रू. मासिक शुल्क लिया जाता है। इसके विपरीत स्वतन्त्र रूप से और से चलने वाले विद्यालयों में प्रवेश शुल्क 2000 रू. और मासिक शुल्क 400 रू. है, जो सर्वथा उपयुक्त है। बेसिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त सभी अभिकरणों से संचालित प्रबन्ध समितियों के संगठन में यद्यपि विभिन्नता है, किन्तु उनके कार्यों में लगभग समानता है। किसी भी विद्यालय की प्रबन्ध समिति प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापिका के अधिकारों और कर्तवयों के सम्बन्ध में नियमों का निर्धारण करती है परन्तु विद्यालय के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती है। इस क्षेत्र में प्रधानाध्यापकों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। यद्यपि प्रशासकीय विषयों या अर्थ सम्बन्धी मामलों में उनका हस्तक्षेप रहता है।

इसके विपरीत बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त कार्यों में चाहें वह प्रशासकीय, आर्थिक या शैक्षणिक हो स्थानीय शिक्षा अधिकारी को हस्तक्षेप करने तथा नियमों को बनाने का पूर्ण अधिकार होता है। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का कार्य केवल स्कूल की दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों को सही ढंग से संचालित करना मात्र है।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों में विचार–विमर्श के लिए शिशु शिक्षा विशेषज्ञ को आमन्त्रित करना या अभिभावक को प्रतिनिधि का स्थान देने का कार्य किया। विद्या भारती से सम्बन्धित विद्यालयों की प्रबन्ध समितियाँ करती हैं। प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनिवार्य रूप से निश्चित धनराशि दान के रूप में देना सभी विद्यालयों में प्रायः अनिवार्य शर्त है।

4.2 छात्र का स्वरूप एवं उसकी पृष्ठभूमि

छात्र का स्वरूप एवं उसकी पृष्ठभूमि के अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाले छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय में बालक–बालिकाओं का अनुपात विद्यालयों में बालक–बालिकाओं की कुल संख्या, प्रति सेंक्शन बालक–बालिकाओं की संख्या और छात्र–अध्यापक अनुपात सम्बन्धी सूचनाएं एकत्रित की गयी हैं। इन सभी सूचनाओं का वर्गीकरण सारिणी – 4.2 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी 4.2 :– छात्र का स्वरूप एवं उसकी पृष्ठभूमि

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	सामाजिक–आर्थिक स्थिति का प्रतिशत					विद्यालय में बालक बालिकाओं के अनुपात का प्रतिशत		विद्यालय में औसत छात्र संख्या	प्रति सेक्सन में छात्रों की संख्या		छात्र अध्यापक अनुपात
		नि.	नि.म.	म.	उ.म.	उ.	बालक	बालिकाएं		अधिकतम	न्यूनतम	
1	बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल	45	50	5	–	–	65	35	150 (नर्सरी छोड़कर)	40	30	30:1
2	क्रिश्चियन विद्यालय	–	–	20	40	40	55	45	800	45	35	20:1
3	विद्या भारतीय से संचालित विद्यालय	10	20	40	20	10	60	40	325	40	25	25:1
4	निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालय	–	–	30	50	20	70	30	350	60	40	35:1
5	महाविद्यालयों से सम्बन्धित विद्यालय	–	–	50	40	10	45	55	512	55	35	36:1
6	स्वतन्त्र विद्यालय	10	15	55	20		62	38	180	32	22	20:1

सकेंत : नि = निम्न, नि.म. = निम्न मध्यम, म.= मध्यम, उ.म. = उच्च मध्यम, उ. = उच्च

बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले 45 प्रतिशत छात्र निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति के हैं। इसी प्रकार 50 प्रतिशत निम्न मध्यम, और 5 प्रतिशत छात्र मध्यम वर्ग के हैं। इन विद्यालयों में उच्च मध्यम एवं उच्च वर्ग का एक भी छात्र अध्ययन नहीं करता। इन विद्यालयों में निम्न वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के 95 प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं जिसका प्रमुख कारण इन छात्रों के अधिकांश अभिभावकों व माता–पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति है। वे अपने बच्चों को शुल्क देकर स्कूल नहीं भेज सकते, अतः वे इन साधनहीन विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं। इन विद्यालयों में बालक–बालिकाओं का अनुपात क्रमशः 65 और 35 का है। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्रत्येक विद्यालय की औसत कुल सं. 150 है जिसमें प्रति सेक्सन छात्रों की अधिकतम संख्या 40 और न्यूनतम संख्या 30 है। इसी प्रकार छात्र–अध्यापक अनुपात 30:1 का है।

क्रिश्चियन विद्यालयों में निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के छात्र प्रायः नहीं आते। इन विद्यालयों में मध्यम वर्ग से 20 प्रतिशत, उच्च मध्यम वर्ग से 40 प्रतिशत और उच्च वर्ग से 40 प्रतिशत छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। बालक–बालिकाओं का अनुपात 55 और 45 रहता है तथा विद्यालय की

औसत छात्र संख्या 800 है। प्रति सेक्सन छात्रों की अधिकतम सं. 45 तथा न्यूनतम संख्या 35 है। शिक्षक–छात्र अनुपात इन विद्यालयों में प्रायः 20:1 का रहता है।

विद्याभारती से संचालित विद्यालयों में सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से प्रायः सभी वर्ग के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। परनतु अधिकांशतः मध्यम वर्ग के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इन विद्यालयों में बालक–बालिकाओं का अनुपात 60 और 40 का है तथा विद्यालय में औसत छात्र संख्या 325 है। प्रति से. छात्रों की अधिकतम सं. 40 तथा न्यूनतम संख्या 25 है। छात्र–अध्यापक अनुपात 25:1 का है।

निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालय में भी अधिकांशतः मध्यम, उच्च मध्यम तथा उच्च वर्ग के क्रमशः 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इन विद्यालयों में औसत संख्या 350 रहती है। प्रति सेक्सन छात्रों की अधिकतम संख्या 60 और न्यूनतम संख्या 40 रहती है। छात्र–अध्यापक अनुपात इन विद्यालयों में 35:1 का है।

ऐसे विद्यालय जो महाविद्यालयों से सम्बद्ध हैं उनमें मध्यम वर्ग से 50 प्रतिशत, उच्च मध्यम वर्ग से 40 प्रतिशत और उच्च वर्ग से 10 प्रतिशत छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालय में बालक–बालिकाओं का अनुपात क्रमशः 45 और 55 रहता है, तथा विद्यालयों में औसत छात्र सं 512 है।

इसी प्रकार प्रति सेक्सन अधिकतम संख्या 55 तथा न्यूनतम छात्र सं. 35 है और छात्र–शिक्षक अनुपात 36:1 का है।

ऐसे विद्यालय जो स्वतन्त्र रूप से चलते हें उनमें भी सभी सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इन विद्यलायों में बालक–बालिकाओं का अनुपात क्रमशः 62 और 38 का है तथा विद्यालयों में औसत छात्र सं. 180 है। प्रति सेक्सन छात्रों की अधिकतम सं. 32 और न्यूनतम सं. 22 है। छात्र अध्यापक का अनुपात 20:1 का है।

इस प्रकार क्रिश्चियन विद्यालयों में जहाँ एक तरफ छात्रों की संख्या अधिकतम है वहीं दूसरी ओर उन विद्यालयों में छात्र–अध्यापक अनुपात भी सन्तोषजनक है।

4.3 विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं भौतिक सुविधाएं

आर्थिक दृष्टि एवं भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से क्रिश्चियन स्कूल एवं महाविद्यलायों से सम्बद्ध स्कूलों की स्थिति अपेक्षाकृत अन्य अभिकरणों से संचालित स्कूलों से अधिक सुदृढ़ व अच्छी है। विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यालय की आय के स्त्रोत, सरकारी सहायता, भवन और विद्यालय के निजी कोष की स्थिति के विषय में सूचनाएं प्राप्त की गयी हैं। इन सूचनाओं को सारिणी :– 4.3 (अ), 4.3 (ब) और 4.3 (स) में प्रदर्शित किया गया है ;

सारिणी 4.3 अ :– विद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं भौतिक सुविधाएं

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	विद्यालय की सं.	आय के स्रोत	सरकारी सहायता (ग्रान्ट) मिलती है या नहीं मिलती है		निजी भवन		विद्यालय के निजी कोष में धन (औसत रू.)
						है	नहीं है	
1	बेसिक शिक्षा परिषद	22	सरकारी सहायता है	सरकार सम्पूर्ण वाहन करती है	—	22	—	ज्ञात नहीं
2	क्रिश्चियन स्कूल	2	शुल्क		2	2	—	1000,000रू.
3	विद्या भारती से सम्बद्ध विद्यालय	4	शुल्क	4	—	3	1	456,000 रू.
4	निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालय	19	शुल्क	15	4	15	4	100,000 रू.
5	महाविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालय	2	शुल्क	1	1	2	—	360,000 रू.
6	स्वतन्त्र विद्यालय	1	शुल्क	1	—	1	—	108,000 रू.
योग :		50	—	21	7	45	5	

बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित सरकारी विद्यालयों में विद्यालय के सम्पूर्ण व्यय को सरकार वहन करती है। 22 विद्यालयों के पास निजी विद्यालय भवन है।

क्रिश्चियन स्कूलों की आय का स्रोत व्यक्तिगत है। इनकी आय के मुख्य स्त्रोत में शुल्क, प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा दी गयी धनराशि है। स्थानीय लोगों से इन विद्यालयों को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। ये स्कूल अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप के भय से किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर हैं। स्कूल इस बात के लिए प्रयत्नशील अवश्य रहते हैं, कि उन्हें आवश्यक धनराशि छात्रों से ही प्राप्त हो जाये। यही कारण है कि क्रिश्चियन स्कूलों की फीस अधिक होती है, जिससे सामान्य आर्थिक स्थिति के अभिभावक अपने बच्चों को इसमें नहीं पढ़ा सकते हैं। क्रिश्चियन स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम होती है। इनके पास अपना विद्यालय भवन और और विद्यालय कोष में 1000,000 रू. से अधिक की धनराशि है। क्रिश्चियन स्कूल के विकास हेतु बनी भावी योजनाओं की पूति हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए कभी उन्हें, विदेशी संस्थाओं, ईसाई मिशनरियों या चैरिटेबल ट्रस्ट से धन प्राप्त हो जाता है या व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा मेला या प्रदर्शनी का आयोजन कर धन एकत्र कर लिया जाता है।

विद्या भारती से समबद्ध विद्यालयों की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती तो भी सन्तोषजनकर है। इनकी आय के मुख्य स्त्रोत छात्रों से लिया गया शुल्क, दान, चन्दे व प्रबन्ध समिति के सदस्यों से प्रापत धन है। स्कूल इस बात के लिए प्रयास अवश्य करता है कि विद्यालय के व्यय एवं भावी

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि छात्रों से ही एकत्र की जाय। इन विद्यालय के कोष में 4,56,000रू. जमा है।

निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालयों की आय का स्त्रोत भी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत स्त्रोत में से प्रमुख प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा दी गयी धनराशि, छात्र–शुल्क, अनुदान आदि हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं हस्तक्षेप के भय से ये संस्थाएं किसी प्रकार की सरकारी सहायता लेना नहीं चाहतीं हैं। इनमें से केवल 15 विद्यालयों को सरकारी सहायता प्राप्त होती है और चार विद्यालयों के पास अपना भवन है। इन विद्यालयों के कोष में 100,000रू. है।

महाविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है। 1 विद्यालय को सरकारी सहायता प्राप्त होती है। आय के स्त्रोत के रूप में 10 छात्रों से लिया गया शुल्क, महाविद्यालय से प्राप्त सहायता की धनराशि आदि प्रमुख हैं। इन विद्यालयों के कोष में 360,000 रू. जमा है।

स्वतन्त्र रूप से चलने वाले विद्यालयों में से केवल 1 विद्यालयों को सरकारी ग्रान्ट मिलती है। विद्यालय के पास अपना भवन भी हैं तथा आय का प्रमुख साधन छात्रों से लिया गया शुल्क है। इन विद्यालयों के विद्यालय कोष में 108,000 रू. जमा है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से बेसिक शिक्षा परिषद को छोडत्रकर अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित विद्यालयों की आय का प्रमुख स्त्रोत व्यक्तिगत है। सरकारी सहायता नियमित रूप से किसी भी विद्यालय को प्राप्त नहीं होती है और न ही प्रबन्धकगण अपनी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप होने के भय से सरकारी सहायता लेना चाहते है।

सारिणी – 4.3 ब : भौतिक सुविधाएं

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	विद्यालय की सं.	खेल का मेदान		कक्षा सं. (औसत)		दोपहर में जलपान की व्यवस्था	वाहन की व्यवस्था		
			हाँ	नहीं	सारधारण कक्ष	विशाल कक्ष		बस	रिक्शा	कोई वाहन नहीं
1	बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय	22	22	–	5	1	नहीं	–	–	22
2	क्रिश्चियन स्कूल	2	2	–	50	1	नहीं	10	5	–
3	विद्या भारती से संचालित विद्यालय	4	1	3	10	1	नहीं	–	6	–
4	निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालय	19	15	4	12	1	नहीं	3	2	1
5	महाविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालय	2	2	–	15	1	नहीं	5	–	1
6	स्वतन्त्र विद्यालय	1	1		20	1	नहीं	–		1

बेसिक शिक्षा परिषद के सभी 22 विद्यालयों में खेल का मैदान है। इन विद्यालयों में बच्चों को दोपहर में जलपान दिया जाता है और बच्चों को लाने और ले जाने के लिए किसी वाहन की व्यवस्था नहीं है। प्रायः सभी बच्चे पैदल चलकर आते हैं। इन विद्यालयों में औसत रूप से 5 साधारण कक्ष और 1 विशाल कक्ष है।

क्रिश्चयन स्कूल में खेल का मैदान है। यहाँ भी बच्चों को दोपहर में जलपान नहीं दिया जाता बल्कि बच्चे अपने घरों से टिफिन लाते हैं। इस विद्यालय के पास 10 बसें और 5 रिक्शें हैं तथा इन्हें निजी या किराये पर रखा गया है। इस विद्यालय में साधारण कक्षों की सं. 50 और विशाल कक्ष की संख्या 1 है।

विद्या भारती से सम्बन्धित 3 विद्यालयों में अपना खेल का मैदान नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी पास के मैदान या पार्क में ले जाकर खेल खिलाया जाता है। यहाँ भी दोपहर के जलपान की कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु कभी–कभी बिस्कुट या टाफी बच्चों को विद्यालय की ओर से दी जाती है। इन विद्यालयों में साधारण कक्ष 10 और विशाल कक्ष 1 है तथा छात्रों को ले आने तथा ले जाने की लिए 6 रिक्शें हैं।

निजी प्रयास से चलने वाले सभी 15 विद्यालयों के पास खेल के मैदान हैं। यहाँ भी दोपहर में कोई जलपान विद्यालय की ओर से नहीं दिया जाता। इन विद्यालयों के पास 3 बसें हैं। केवल 4 विद्यालय के पास वाहन की सुविधा नहीं है। साधारण कक्षों की सं. 12 है तथा विशाल कक्ष की सं. 1 है।

महाविद्यालयों से सम्बद्ध 2 विद्यालयों में से 1 विद्यालय के पास औसत रूप से 5 बसें हैं तथा केवल 1 विद्यालय के पास वाहन की सुविधा

नहीं है। दोनों ही विद्यालयों में खेल का मैदान है। छात्रों को विद्यालय की ओर से जलपान नहीं दिया जाता। विद्यालयों में औसत रूप से साधारण कक्ष 15 तथा विशाल कक्ष 1 हैं।

स्वतन्त्र विद्यालय के पास विशाल खेल का मैदान है। साधारण कक्ष की सं. 20 तथा विशाल कक्ष की सं. 1 है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यालयों के पास खेल के मैदान का अभाव है। खेलकूल मानव जीवन के अभिन्न अंग है तथा खेलकूल पर ही बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। खेलकूल के द्वारा बच्चों में, मानसिक एकता, अनुशासन तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। खेलकूद को अब जीवन का अनिवार्य अंग मान लिया गया है। पाठ्येतर और बाह्य अंग नहीं; हमें शिक्षा को एक नया लक्ष्य प्रदान करना चाएिह। अब शिक्षा केवल व्यक्ति के विकास का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास और हमारी आन्तरिक एकात्मता का साधन होनी चाहिए। खेलकूद से सहयोग की भावना और सहानुभूति उत्पन्न होती है और दूसरों को समझने में सहायता मिलती है। एक दृढ़ और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के योगदान में खेलकूद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः खेलकूल के मैदान का अभाव चिन्तनयी विषय है।

सारिणी – 4.3 स : विद्यालय में कर्मचारियों की संख्या, बच्चों के बैठने की व्यवसायी एवं विद्यालय की समस्याएं

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	विद्यालय की सं.	विद्यालय में चपरासी की औसत सं.	विद्यालय में लिपिक की औसत सं.	विद्यालय में बच्चों के बैठने की व्यवस्था	विद्यालय की अपनी समस्याएं
1	बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय	22	22	–	टाट, पट्टी	कम वेतन, जर्जन भवन, विभागीय भ्रष्टाचार, असन्तोष
2	क्रिश्चियन स्कूल	2	23	8	कुर्सी मेज	अभिभावकों की बालकों के प्रति अरूचि, बच्चों में नियमितता का अभाव
3	विद्याभारतीय से सम्बद्ध विद्यालय	4	4	4	डेस्क, बेंच, दरी	कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता, समर्पित व योग्य अध्यापकों की कमी
4	निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालय	19	25	19	"	छोटा भवन, कम वेतन, स्टाफ की कमी, फर्नीचर का अभाव
5	महाविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालय	2	5	4	कुर्सी मेज	अध्यापकों की कमी, फर्नीचर का अभाव, कक्षाओं में बच्चों की नियिश्चत सं. नहीं
6.	स्वतन्त्र विद्यालय	1	1	1	डेस्क, बेंच, दरी	निजी भवन का अभाव, कम वेतन कम छात्र, धन की कठिनाई

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में 1 चपरासी की व्यवस्था है किन्तु लिपिक की कोई व्यवस्था नहीं है। इन विद्यालयों के भवन तथा मकान अत्यन्त जर्जर अवस्था में तो हैं ही किन्तु इनमें छात्रों के बैठने की कोई व्यवस्था तो बहुत ही दयनीय है। प्रायः छात्र बारहों महीने नंगी जमीन पर खुल आकाश के नीचे बैठने को बाध्य होते हैं। केवल कुछ ही विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के नाम पर जीर्ण–शीर्ण टाट–पट्टिया हैं। शोधकर्ता ने जब विद्यालयों का सर्वेक्षण किया तब संयोगवश एक विद्यालय में हलकी बूंदा बांदी हो रही थी, अत्यन्त ठिठुरन भरी सर्दी पड़ रही थी। अधिकांश बच्चे नंगे पैर थे और कुछ ही बच्चों ने स्वेटर पहन रखा है। कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की हालत अत्यन्त दयनीय है। इन विद्यालयों को देखकर ही उ.प्र. के अन्य जिलों में पढ़ने वाले बच्चों व उनके विद्यालयों की हालत का सहज अनुमान लगाया जाता है। ऐसा लगता है कि भारत वर्ष की 50 वर्षों की वैज्ञानिक, तकनीकी व आर्थिक उन्नति का कोई प्रभाव अथवा लाभ इन बच्चों तक नहीं पहुँचा है। कैसी विडम्बना है कि एक तरफ हम अन्तरिक्ष में अपने यान को पहुँचा चुके हैं और दूसरी ओर एक महानगर के सैकड़ों विद्यालयों के हजारों बालक व बालिकाएं नंगी जमीन पर पढ़ने के लिए बाध्य हैं। क्या हम आशा करते हें कि इन बच्चों में प्रतिभाशाली बालक नहीं है। अथवा हम अपनी गलतियों तथा उदासनीता के वशीभूत उनकी प्रतिभा को मौत के घाट उतारने का कार्य नहीं कर रहे हैं। इन विद्यालयों की समस्याओं के अन्तर्गत कम वेतन, जर्जर भवन, विभागीय भ्रष्टाचार और असन्तोष आदि प्रमुख समस्याएं हैं।

क्रिश्चियन स्कूल में 23 चपरासी कार्य करते हैं तथा 8 लिपिकों की सं. है। इस विद्यालय के छात्र कुर्सी–मेज पर बैठते हैं। इस विद्यालय की

प्रमुख समस्या यह है कि अभिभावक बालकों के प्रति कोई रूचि नहीं रखते, वे बच्चों को स्कूल में भरती करवा कर, उन्हें फीस देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। इसी प्रकार बालकों में नियमितता का अभाव भी एक अन्य समस्या है।

विद्या भारतीय से सम्बद्ध विद्यालयों में 4 चपरासी तथा 4 लिपिक कार्य करते हैं। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क, बेंच तथा दरी है। इन विद्यालयों की प्रमुख समस्या कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता, समर्पित व योग्य अध्यापकों की कमी है। समर्पित व योग्य अध्यापकों को वास्तव में देश में अकाल पड़ गया है जिसके कारण भी बालकों की शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन व सुधार नहीं हो पा रहा है।

निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालयों में 25 चपरासी तथा 19 लिपिक कार्य करते हैं। बच्चे डेस्क–बैंच तथा दरी पर बैठते हैं। छोटा भवन, कम वेतन, स्टाफ की कमी, फर्नीचर का अभाव आदि इनकी प्रमुख समस्याएं हैं।

महाविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों में प्रति विद्यालय 5 चपरासी तथा 4 लिपिक कार्य करते हैं। बच्चे कुर्सी मेज पर बैठते हैं। इन विद्यालय की एक प्रमुख समस्या यह है कि अध्यापकों की कमी तो है ही; अधिकांश पद रिक्त पड़ते हैं। फर्नीचर का अभाव, कक्षाओं में बच्चों की अनिश्चित सं., आदि अन्य समस्याएं हैं।

स्वतन्त्र रूप से चलने वाले 1 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 1 चपरासी तथा 1 लिपिक की व्यवस्था है। बच्चे डेस्क–बैंच तथा दरी पर बैठते हैं। निजी भवन का अभाव, कम वेतन, कम छात्र, धन की कमी आदि इन विद्यालयों की प्रमुख कठिनाइयाँ व समस्याएं हैं।

4.4 विद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने सामान्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य बताये – छात्रों में शील एवं संयम एवं सौजन्यता की भावना उत्पन्न करना, उनकी सुरूचियों तथा एद्वृत्तियों का विकास करना, उन्हें स्वस्थ, अध्ययनशील एवं विचारवान, उन्हें चरित्रवान बनाना। उन्हें प्रिय, योग्य नागरिक तथा अपनी मातृ संस्था के प्रति निष्ठावान बनाना।

सुनने में ये उद्देश्य बड़े अच्छे लगते हैं परन्तु बेसिक विद्यालयों की वर्तमान दशा देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इन उद्देश्यों की ओर अध्यापकों का ध्यान कभी जाता भी होगा। न तो शिक्षा अधिकारी शिक्षा में रूचि लेते हैं, न तो अच्छे अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं और न तो उपयुक्त स्थानों पर स्वस्थ वातावरण में विद्यालय चलाये जाते हैं। उद्देश्यों की उत्कृष्टता होते हुए भी बेसिक स्कूल लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं।

छात्र एवं छात्रओं को अपने जीवन में सत् कर्तव्य पालन, एवं उच्चतर व्यवहार की सर्वतोमुखी शिक्षा देना ही क्रिष्चियन स्कूलों का पवित्र उद्देश्य है। अतः बौद्धिक, सामाजिक एवं शारीरिक शिक्षा के साथ ही साथ व्यवहारिक, शिष्टाचार और अनुशासन पर समुचित ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य पूर्ण सम्बन्धी का बनाये रखना भी इनका प्रमुख कार्य है।

इन उद्देश्यों की प्रर्ति हेतु छात्रों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है तथा सामाजिक सेवा के कार्य कराये जाते हैं। उनके सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे खले और नाटक प्रतियोगिता,

सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि होता रहता है।

विद्या भारतीय से सम्बद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य बताये – शिशुओं तथा छात्रों को उपयुक्त साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, चारित्रिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करना। भारतीय संस्कृति तथा धर्म, आचार पद्धति तथा भारतीय राष्ट्र और जीवन के प्रति श्रद्धा एवं सामाजिक तथा सहयोगात्मक भावों का बालकों में निर्माण एवं प्रसार करना। जीवन के प्रति कला और आनन्द की वृत्ति का निर्माण करने हेतु कोमल भावों एवं संस्कारों को जागृत करना। उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करना, व्यवस्था करना एवं विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना।

इन विद्यालयों का लक्ष्य है – "हमें ऐसे बालकों का निर्माण करना है जिनके चेहरे पर आभा, शरीर में बल, मन में प्रचण्ड इच्छा शक्ति, वृद्धि में पांडित्य, जीवन में स्वावलम्बन व हृदय में शिवा, प्रताप, ध्रुव, प्रहलाद की जीवन गाथाएं अंकित हों, और जिन्हें देखकर महापुरूषों की स्मृतियां झंकृत हो उठें।"

शिशु मन्दिरों की शिक्षा व्यवस्था अन्य अभिकरणों की अपेक्षा व्यवस्थित जान पड़ती है। उनका राज्य व्यापी संगठन उच्च आदशों पर आधारित शिक्षा की आवश्कयताओं की पूर्ति के सुदृढ़ संगठन है। उनकी शिक्षा प्रणाली भी देश की आवश्यकता के अनुकूल जान प्ड़ती है।

शिशु मन्दिरों में जनता और अभिभावाकों से सम्पर्क ज्यादा रखने के लिए प्रयास होता है तथा पुराने छात्रों से सम्पर्क बनाये रखना एक पुरातन

परम्परा है। इससे छात्रों में विद्यालय तथा आचार्यों के प्रति प्रेम बना रहता है तथा वे उन आदर्शों के पालन का प्रयास करते हैं जो इन विद्यालयों द्वारा उनके सम्मुख रखे गये थे। इस प्रकार जीवन में उनके आदर्शों की निरन्तरता बनी रहती है और वे सामान्य विद्यालयों में जाकर अपने पूर्व विद्यालय के ऊंचे आदर्शों को नहीं भूलते। बालकों के चरित्र निर्माण का यह एक अच्छा ढंग है और इस दृष्टि से ये विद्यालय बड़ा उपयोगी कार्य कर रहे हैं।

निजी प्रयास से चलने वाले, महाविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालय तथा स्वतन्त्र रूप से चलने वाले विद्यालयों के उद्देय इस प्रकार हैं – छात्रों में राष्ट्रीयता तथा नैतिकता की भावना उत्पन्न करना, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोंण उत्पन्न करने के लिए सभी प्रकार की सुरूचियों तथा सुसंस्कारों को जागृत करना, स्वस्थ आदतों व अभिवृत्तियों का विकास आदि।

विद्यालय और समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है। विद्यालय समाज की विचार धारा, रहन–सहन के ढंग तथा मनोभावों का प्रतिनिधित्व करता है। विद्यालय सामुदायिक विकास का केन्द्र भी माना जाता है। उसक केवल बच्चों को शिक्षित करना नहीं है वरन् अभिभावकों को भी शिक्षा के महत्व से परिचित कराना है। अतः अभिभावकों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखना, उनसे विचारों का आदान प्रदान करना, उनकी कठिनायाँ समझना अपनी

कठिनाइयाँ बताकर उनका सहयोग प्राप्त करना विद्यालय का कर्तव्य है। जो विद्यालय समाज से विच्छिन्न रहकर केवल अपने विचारों में घिरे रहकर संकुचित क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, व पूर्णरूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। शिक्षा सम्बन्धी उनके उद्‌देश्य चाहे कितने भी ऊँचे हों पर वे अधूरे रह जाते हैं। अतः विद्यालय को समाज से घनिष्ट सम्बन्ध रखना और अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना शिक्षा के उन्नयन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

4.5 अध्यापक / अध्यापिकाओं सम्बन्धी विवरण

इसके अन्तर्गत विद्यालयों में अध्यपकों की औसत सं. उनके प्रशिक्षित होने का प्रतिशत, कुल औसत वेतन तथा उन्हें दी जाने वाली आकस्तिक ओर चिकित्सा अवकाशों सम्बन्धी सूचनाएं वर्गीकृत की गयी हैं। इन्हें सारिणी – 4.4 में अंकित किया गया है।

सारिणी – *4.4* : अध्यापक/अध्यापिकाओं सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विद्यालय की सं.	अध्यापकों की सं.	प्रशिक्षित अध्यापकों की सं.	औसत कुल वेतन (मासिक)	दी जाने वाली छुट्टियाँ	
						आ.	चिकि.
1	बेसिक शिक्षा परिषद	22	–	50	30000 रू.	14	10
2	क्रिश्चियन स्कूल	2	20	60	15000 रू.	15	15
3	विद्याभारतीय से सम्बद्ध वि.	4	10	40	8000 रू.	14	10
4	निजी प्रयास से चलने वाले वि.	19	12	100	5000 रू.	14	10
5	महाविद्यालयों से सम्बद्ध वि.	2	15	50	24000 रू.	14	10
6	स्वतन्त्र विद्यालय	1	–	15	3000 रू.	14	10

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्यापकों की औसत सं. 50 है तथा सभी प्रशिक्षित हैं। उन्हें 30000 रू. मासिक वेतन मिलता है और आकस्मिक अवकाश 14 तथा 10 चिकित्सा अवकाश प्राप्त होता है।

क्रिश्चियन विद्यालय में अध्यापकों की सं. 10 है जिसमें 60 अध्यापक प्रशिक्षित हैं, जिन्हें 15000 रू. मासिक वेतन मिलता है। अध्यापक/अध्यापिकाओं का 15 आकस्तिम एवं 15 चिकित्सा अवकाश मिलता है। इस विद्यालय में अध्यापक के प्रशिक्षित होने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता वरन् उत्तम शैक्षिक रिकार्ड वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

विद्या भारतीय से सम्बद्ध विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 20 प्रति विद्यालय है जिसमें कुछ प्रशिक्षित हैं। उन्हें 8000 रू. मासिक वेतन दिया जाता है। अवकाश के रूपमें 14 आकस्मिक व 10 चिकित्सा अवकाश देने का प्रावधान है।

निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में औसत 20 अध्यापक कार्यरत हैं। जिन्हें 5000रू. मासिक वेतन दिया जाता है। 14 आकस्तिमक व 10 चिकित्सा अवकाश दिया जाता है।

महाविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों में 15 अध्यापक प्रति विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं जिन्हें 24000रू. मासिक वेतन दिया जाता है। चिकित्सा के 10 तथा 15 आकस्मिक अवकाश दिये जाते हैं।

स्वतन्त्र रूप से चलने वाले विद्यालयों में अध्यापकों की औसत सं. 15 है जिन्हें 3000रू. वेतन दिया जाता है। आकस्मिक अवकाश 14 तथा चिकित्सा अवकाश 10 दिन का दिया जाता है।

नवम्बर 1981 में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता में शिक्षकों की भूमिका पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया था। इस बात पर सभी सहमत थे कि शिक्षा के माध्यम से छात्र समुदाय में मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठि किया जा सकता है। साथ ही, यदि शिक्षक चाहें तो शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय एकता में सर्वोत्तम योगदान कर सकते हैं।

सामान्यतः हमारी शिक्षा प्रणाली के और विशेषतः शिक्षक समुदाय के सम्मुख उपस्थित कुछ बुनियादी समस्याओं पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा। युगों से समाज में शिक्षक को ऐसा व्यक्ति माना जाता रहा है जो किसी भी बात के विषय में जानकारी देने की क्षमता रखता है। यदि शिक्षक इस प्रकार शिखा दें कि अल्पव्यस्क ज्ञात अथवा अज्ञात समस्याओं को हल करने की विधि की खोज करना सीख सकें तो यह पर्याप्त उपलब्धि होगी। अल्प वयस्कों को इस तरह की शिक्षा देना आवश्यक है कि जब प्रयुक्त विधि ज्ञात न हो और जिस समस्या को सुलझाना है वह सूत्रबद्ध न हो, तब किस प्रकार सोचना चाहिए, दुर्भाग्यवश हमारे प्राथमिक शिक्षकों में जो प्रकट प्रतीत होता है, उससे परे देखने की बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं की है।

वर्तमान समय में, जबकि शिक्षकों के वेतनमान पहले से कहीं बहुत अच्छें हैं, उनकी गणना आज भी असन्तुष्ट व्यक्तियों में की जाती है। उनमें से बहुतों के लिए इस वृत्ति का एकमात्र आकर्षण है वेतन, जहां तक समाज में उनके स्थान का सम्बन्ध है उनकी अपर्याप्तताओं और असंगतियों के विषय में वे निराश, दोषदर्शी और कटु हैं। उस शिक्षक की स्थिति वास्तव में दुखद हैं जो तीव्रता के साथ महसूस करता है कि वह एक अपात्र निर्मित पर अपना सर्वोत्तम क्षमता का अपव्यय कर रहा है।

ऐसा व्यक्ति जिस फंडे के नीचे संघर्षरत हे उसी का सम्मान नहीं करता। ऐसे शिक्षक अपनी वृत्ति को उस यथार्थ भावना से नहीं लेते तो शिक्षक वृत्ति के प्रति होनी चाहिए।

फिर भी आज के शिक्षकों के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ हैं, उनकी कुछ शिकायतें और आकांक्षाएं यथार्थ और संगत हैं जैसे कि अन्य उन्नत देशों की स्थिति की तरह, शिक्षक की यह अपेक्षा उचित है कि शिक्षक का समाज में सम्मानीय स्थिति दिलाने के लिए सचेतन प्रयास करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने उक्त सम्मेलन के उदघाटन–भाषण में इस देश की गुरू परम्परा का उल्लेख किया है, परन्तु साथ ही साथ उन्होनें यह भी चेतावनी दी है कि कारखानाओं में तो रोबट (यंत्रमानव) का उपयोग शुरू से हो ही गया है, अब तो इसका भी भारी खतरा है कि कहीं वह शिक्षक की भूमिका भी न निभाने लगे। **श्रीमती गाँधी का यह कथन भी उचित है कि शिक्षक माता–पिता का स्थान नहीं ले सकता, बल्कि वह उनके दायित्व का सम्पूरक है, किन्तु यदि माता–पिता अपने उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वाह नहीं कर पाते तो शिक्षक के दायित्व का भार और भी बढ़ जाता है।** उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के इस कथन का उल्लेख किया कि 'शिक्षा का अर्थ जानना नहीं बल्कि होना (अर्थात् उसे जीवन में उतारना) है; गौतम बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हमें से

प्रत्येक को दीप स्तम्भ बनना होगा, अतः विद्यालयों में अध्यापक–अध्यापिकाओं की कठिनाइयों को दूर कर उन्हें उचित वेतन प्रदान करना होगा तभी शिक्षक अपने दायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह कर सकेंगे।

4.6 शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन

शिक्षण विध एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त शिक्षण विधियों एवं अर्जित ज्ञान के परीक्षण के निमित ली जाने वाली परीक्षाओं के सवरूप, व स्थिति की व्याख्या की गयी है। सम्बन्धित विवरण सारिणी – **4.5** में प्रदर्शित है –

सारिणी – 4.5 : शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	प्रा. कक्षाओं में प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ	शिक्षण हेतु सामग्री	परीक्षा का स्वरूप					
				लि.	मो.	मा.	त्रैमा.	अर्द्ध.	वा.
1	बेसिक शिक्षा परिषद	प्रश्न उत्तर विधि, कथा विधि	सहायक समग्री उपलब्ध नहीं	√			√	√	√
2	क्रिश्चियन स्कूल	प्रश्न उ., खेल विधि, डिमान्सट्रेशन	चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, वैज्ञानिक उपकरण	√	√	√	√	√	√
3	विद्या भारतीय से सम्बद्ध वि.	मौखिक, सामूहिक दुहराना, खेल विधि, कथाविधि, वर्णनातमक विधि	चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, वैज्ञानिक उपकरण	√	√	√	√	√	√
4	निजी प्रयास से चलने वाले वि.	मान्टेसरी, प्र.उ., खले विधि	चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, वैज्ञानिक उपकरण	√	√	√		√	√
5	महाविद्यालयों से सम्बद्ध वि.	खेल विधि, प्र. उ., कथा विधि	चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, वैज्ञानिक उपकरण	√	√	√		√	√
6	स्वतन्त्र विद्यालय	प्रश्न उ. खेल विधि कथा विधि, सामूहिक दुहराना	चार्ट, भवन चित्र नामांकित चित्र	√	√	√	√	√	√

संकेत :– लि. = लिखित, मो. = मौखिक, मा. =मासिक, त्रैमा. = त्रैमासिक, अर्द्ध. = अर्द्धवार्षिक, वा. = वार्षिक

बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई नहीं होती। एक सं पांच तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते समय प्रायः प्रश्न उ. विधि, कथा विधि, आदि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण को रोचक व प्रभावशली बनाने की दृष्टि से विद्यालयों में सहायक सामग्री को कोई व्यवस्था नहीं है। परीक्षाओं के अन्तर्गत लिखित व मौखिक दोनों प्रकार से परीक्षाएं ली जाती हैं और त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएं ली जाती हैं। सिजमें केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही छात्रों को उत्तीण या अनुत्तीर्ण किया जाता है। अन्य विद्यालयों की तरह यहाँ कोई प्रगति पुस्तिका नहीं होती जिसमें समय–समय पर सत्र के बीच बालक की प्रगति व उपलब्धि को अंकित किया जा सके। कक्षा एक से चार तक के छात्रों को केवल मौखिक रूप से बता दिय ाजाता है कि वे पास हैं अथवा नहीं। उन्हें कोई लिखित अंक–पत्र नहीं दिया जाता। केवल कक्षा पांच के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने का अंक–पत्र व प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

क्रिश्चियन विद्यालय में प्र. उ. विधि, खेल–विधि, डिमान्ट्रेशन आदि शिक्षक विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, वैज्ञानिक उपकरण, स्लाइड का प्रयोग किका जाता है और कभी–कभी ज्ञानवर्धक फिल्में भी दिखाई जाती हैं। विद्यालय में मासिक, त्रैमासिक,

अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं तथा ये परीक्षाएं मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में ली जाती हैं।

विद्या भारती से संचालित विद्यालयों में शिक्षण विधियों के अन्तर्गत मौखिक, सामूहिक, दुहराना, खेल विधि, कथा विधि, वर्णनात्मक विधि आदि शिक्षध विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण को रोच प्रभावी तथा बोधगम्य बनाने की दृष्टि से र्चा, मानचित्र, नामांकित चित्र, उपकरण आदि का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। यहाँ भी मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं मौखिक व लिखित दोनों रूप में ली जाती हैं। इसके साथ ही बालक के आचरण, कक्षा कार्य, गृहकार्य, स्वाध्याय आदि अनुसांगिग क्रियाओं पर भी अंक दिये जाते हैं। वर्ष भर के कार्यों व परीक्षाओं के आधार पर बालक को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है।

निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालयों में मान्टेसरी, प्र.उ. व खेल विधि से शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता है। इस तरह के विद्यालयों में सहायक सामग्रियों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता है तथा अध्यापक की इच्छानुसार सहायक सामग्रियों को शीघ्र व्यवस्था कर दी जाती है। परीक्षाएँ भी उपर्युक्त प्रकार से ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त बालकों को विद्यालय में ही कुछ कार्यात्मक अनुभव प्रदान किया जाता है, जैसे रूमाल का प्रयोग, टिफीन खाकर बर्तन धोना आदि।

महाविद्यालयों से सम्बन्धित विद्यालयों में भी अधिकतर प्रश्न उ. विधि, खेल विधि तथा कथाविधि से शिक्षा प्रदान की जाती है और सहायक सामग्रियों का अधिकता से प्रयोग किया जाता है। परीक्षाएं भी उपर्युक्त प्रकार से सम्पन्न की जाती हैं।

स्वतन्त्र रूप से चलने वाले विद्यालयों में प्रश्न उ. विधि, खेल विधि, कथा विधि, सामूहिक रूप से दुहराना आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। सहायक सामग्री के अन्तर्गत चार्ट, मानचित्र, नामांकित चित्र तथा कुछ उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है।

इन विद्यालयों में मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं मौखिक व लिखित रूप से ली जाती हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को छोड़कर, शेष सभी विद्यालयों में छात्रों की प्रगति पुस्तिका बनायी जाती है जिसमें छात्र की प्रगति तथा परीक्षाओं में प्राप्त अंक अंकित रहते हैं।

विद्यालयों के सर्वेक्षण के दौरान शोधकर्ता ने पाया कि कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण किया जाता है उससे छात्रों में मौलिक सूझ–बूझ व क्रियात्मक योग्यता का पूर्णतः अभाव है। बालकों को इस तरह की शिक्षा देना आवश्यक है कि जब प्रयुक्त विधि ज्ञान न हो और जिस समस्या को सुलझाना है वह सूत्रबद्ध न हो, तब किस प्रकार सोचना चाहिए। प्रायः अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ सभी छात्र समान रूप से ग्रहण नहीं कर पाते अतः वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान

रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना उत्तम रहता है जिसका अभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

4.7 पाठ्यक्रम, पाठ्यसहगामी क्रियाएं एवं निर्देशित पुस्तकें और प्रकाशन का नाम

छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा में पाठ्यक्रम व सहपाठ्यगामी क्रियाओं का विशेष महत्व है क्यों कि इनके आधार पर ही बालक की शक्तियों व क्षमताओं का प्रकटीकरण हो पाता है। पाठ्यक्रम में ही सर्जनात्मक वृत्तियों के विकास के बीज छिपे रहते हैं और उनसे ही समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति व समाज की समस्याओं के समाधान की दिशा प्राप्त होती है।

बालक के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सहपाठ्यगामी क्रियाओं का भी कम महत्व नहीं है। अतः विद्यालयों में किस प्रकार का पाइयक्रम रखा गया है, विद्यालय में सहपाठ्यगामी क्रियाओं की क्या व्यवस्था है, कौन से पुस्तक निर्देशित हैं तथा उन पुस्तकों का प्रकाशन कहाँ से होता है, सम्बन्धित जानकारी करना भी अध्ययन का एक उद्‌देश्य था। अतः शोधकर्ता ने इस सम्बन्ध में जो सूचनाएं प्राप्त की वह सारिणी –4.6 में वर्गीकृत किया गया है –

सारिणी – 4.6 : पाठ्यक्रम, सहपाठ्यगामी क्रियाएं, निर्देशित पुस्तकें तथा प्रकाशन का नाम :

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	विद्यालयों की सं.	पाठ्यक्रम निर्धारित। निर्धारित नहीं	सहपाठ्यगामी क्रियाएं	प्रकाशन का नाम
1	बेसिक शिक्षा परिषद	22	निर्धारित	शारीरिक प्रतियोगिता, बालसभा	उ.प्र. राजकीय प्रकाशन
2	क्रिश्चियन स्कूल	2	निर्धारित	शा. प्रति., बौद्धिक प्रति. नाटक प्रतियोगिता, बालसभा, वन विहार, समाज कार्य	एन.सी.ई.आर.टी. राजकीय प्रकाशन, स्वतन्त्र प्रकाशन
3	विद्या भारतीय से सम्बद्ध वि.	4	निर्धारित	शा. प्रति., बो. प्रति., बालसभा, देश दर्शन, वन विहार, शिविर	स्वतन्त्र प्रकाशन
4	निजी प्रयास से चलने वाले वि.	19	निर्धारित	शारीरिक प्रति., बौद्धिक प्रतियोगिता बालसभा, वन विहार	एन.सी.ई.आर.टी. राजकीय प्रकाशन, स्वतन्त्र प्रकाशन
5	महाविद्यालयों से सम्बद्ध वि.	2	निर्धारित	शा. व बौद्धिक प्रतियोगिताएं, बालसभा, देश दर्शन	एन.सी.ई.आर.टी. राजकीय प्रकाशन, स्वतन्त्र प्रकाशन
6	स्वतन्त्र विद्यालय	प्रश्न उ. खेल विधि कथा विधि, सामूहिक दुहराना	–	शा. प्रति. बौद्धिक प्रति, बालसभा, वनविहार	एन.सी.ई.आर.टी. राजकीय प्रकाशन, स्वतन्त्र प्रकाशन

बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। इन विद्यलायों में सहपाठ्यगामी क्रियाओं के अन्तर्गत शारीरिक प्रतियोगिता एवं बाल सभा होती है। इन विद्यालय में पढाई जाने वाली सभी पुस्तकें राजकीय प्रकाशन उ.प्र. की है।

क्रिश्चियन विद्यालय में भी पाठ्यक्रम निर्धारित है और विधिवत् छपा हुआ है। इस विद्यालय में सहपाठ्यगामी क्रियाओं के अन्तर्गत शारीरिक–प्रतियोगिता, बौद्धिक, प्रतियोगिता, बालसभा, वन विहार; तथा सामाजिक कार्य होते हैं। यहाँ पर जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उनका प्रकाशन एन.सी.आर.टी. से राजकीय प्रकाशन व स्वतन्त्र प्रकाशन से किया जाता है। क्रिश्चियन विद्यालय में सहपाठ्यगामी क्रियाओं की उत्तम व्यवस्था है।

विद्या भारती सम्बद्ध भारतीय शिशु मन्दिर के पाठ्यक्रम का निर्धारण प्रादेशिक शिशु शिक्षा समिति लखनऊ करती है। उ.प्र. भर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यालय चलते हैं। अतः एकता और समानता को बनाये रखने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम सब जगह पर एक ही हो। पाठ्यक्रम का निर्धारण विद्यालय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। अतः भारतीय संस्कृति के अनुरूप बालकों के समुचित विकास हेतु आवश्यक तत्वों को स्थान देने का प्रयास किया गया है। यहाँ की पाठ्य पुस्तकें अन्य स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों से सर्वथा भिन्न हैं। समस्त पुस्तकों में पाठ्य सामग्रियों को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विद्यालय की स्थापना के बाद समय–समय पर इसमें प्रयोगिक अनुसंधान के फलस्वरूप परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक सुझाव मात्र दे सकते हैं। अन्तिम निर्णय का अधिकार प्रादेशिक शिशु शिक्षा समिति के हाथ में है। भारतीय संस्कृति के

प्रति अपार निष्ठा के कारण नैतिक शिक्षा व सदाचार नामक विषय को छात्रों को अलग से पढ़ाया जाता है। शिशु पाठ्यक्रम में केवल बालकों के बौद्धिक विकास पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, अपितु उनके सुदृढ़ चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। सहपाठ्यगामी क्रियाओं के अन्तर्गत यहाँ पर शारीरिक व बौद्धिक प्रतियोगिताएं, बालसभा, देशदर्शन, वन विहार तथा शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन विद्यालय में पढ़ायी जाने वाली पुस्तकें स्वतन्त्र प्रकाशनों की है।

इसी प्रकार निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों और स्वतन्त्र रूप से चलने वाले विद्यालयों में भी पाठ्यक्रम निर्धारित तथा छपे हुए हैं। सहपाठ्यगामी क्रियाओं के अन्तर्गत इन विद्यालयों में शारीरिक व बौद्धिक प्रतियोगिताएं, वार्षिकोत्सव, बालसभा, वन–विहार आदि कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित की जाती हैं। एन. सी.आर.टी'. राजकीय प्रकाशन तथा कुछ स्वतन्त्र प्रकाशनों की पुस्तकों को इन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उपर्युकत 6 अभिकरणों से चलने वाले विद्यालयों में से क्रिश्यिचन विद्यालय तथा शिशु मन्दिरों के पाठ्यक्रम व विद्यालय में चलने वाली सहपाठ्यगामी क्रियाएं उत्तम हैं। शेष अभिकरणों से चलने वाले विद्यालयों में सहपाठ्यगामी क्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है।

पंचम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 निष्कर्ष

फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में विभिन्न अभिकरणों से चलने वाले प्राथमिक विद्यालयों के सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों को उद्देश्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा गया है।

1. फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था 6 प्रकार के अभिकरणों द्वारा की जाती है। इन अभिकरणों के नाम हैं – बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालय, क्रिश्चियन स्कूल, विद्या भारती से सम्बद्ध विद्यालय, निजी प्रयास से चलने वाले विद्यालय, महाविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालय, और स्वतन्त्र रूप से चलने वाले विद्यालय।
2. सभी अभिकरणों से चलने वाले लगभग सभी विद्यालयों में प्रबन्ध समिति है। समिति के संगठन व सदस्यता ग्रहण करने के तरीकों में यद्यपि भिन्नता है किन्तु प्रायः कार्य की दृष्टि से उनमें समानता है।
3. यद्यपि सभी अभिकरणों से चलने वाले विद्यालयों के उद्देश्यों में न्यूनाधिक भिन्नता है किन्तु सभी उद्देश्यों में एक समानता दिखाई पड़ती है वह यह है – बालक का सर्वांगीण विकास करना, स्वस्थ अभिवृत्तियों का निर्माण व चरित्र का निर्माण करना।
4. विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित विद्यालय के पाठ्यक्रम भिन्न होते है यद्यपि सभी विद्यालयों में लगभग समान विषय पढ़ाये जाते हैं। निर्देशित पुस्तकें प्रायः तीन प्रकाशनों की हैं – एन.सी.ई.आर.टी. से प्रकाशति पुस्तकें, राजकीय प्रकाशन, इलाहाबाद, उ.प्र. और स्वतन्त्र प्रकाशन।

5. विद्यालयों में यद्यपि विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, किन्तु सभी विद्यालयों में प्रश्न, उ. विधि, और क्या विधि का प्रयोग किया जाता है।
6. विद्यालयों में सहपाठ्यगामी क्रियाओं के अन्तर्गत शारीरिक प्रतियोगिताएं, बौद्धिक प्रतियोगिताएं, बालसभा, वन विहार कार्यक्रम तथा वार्षिकोत्सव आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
7. विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का है। विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षित हैं।
8. यद्यपि प्रत्येक विद्यालय की अपनी कठिनाइयां व समस्याएं हैं किन्तु अधिकांश विद्यालयों की मुख्य कठिनाइयां इस प्रकार हैं – निजी भवन का अभाव, खेल के मैदान का अभाव, कम स्टाफ, कम वेतन तथा धन का अभाव।

5.2 सुझाव

शोधकर्ता द्वारा किये गये इस सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं –

1. राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित विद्यालयों पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए क्योंकि टूण्डला क्षेत्र में इन विद्यालयों की दशा तथा उनमें शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय व करूण हैं। इन विद्यालयों में भवनों की मरम्मत, निजी विद्यालय भवन की व्यवस्था, बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था और सहायक सामग्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. टूण्डला क्षेत्र में अनेक विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किये ही चल रहे है जिनसे होने वाली आय का अधिकांश भाग विद्यालय के प्रबन्धगण अपने कोष में जमा करते हैं तथा विद्यालयों में शिक्षकों को अल्प वेतन दिया

जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे विद्यालयों की जांच की जाय तथा समुचित कार्यवाही की जाय।

3. उन विद्यालयों को मान्यता न दी जाये जहाँ खेल के मैदान नहीं है तथा कक्षागत भौतिक वातावरण स्वस्थ नहीं है।
4. अधिकांश शिक्षक बिना योजना बनाये ही कक्षा में जाकर शिक्षण कार्य करते हैं। जिससे बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ पढ़ाये जाने वाले प्रकरण का प्रायः कोई सहसम्बन्ध नहीं होता। अतः विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए।
5. विद्यालय के प्रधानाचार्य को सत्र के बीच में अभिभावक सम्मेलन बुलाना चाहिए और विद्यालय की प्रगति तथा विद्यालयों की कठिनाइयों के समाधान के लिए सामूहिक वार्ता करनी चाहिए।
6. विद्यालय की आय–व्यय लेखा का प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से परीक्षण होना चाहिए।
7. अध्यापकों के लिए अवकाश के समय में अंशकालीन विशिष्ट पाठ्यक्रम का आयोजन का आधुनिक शिक्षण विधियों की जानकारी देनी चाहिए तथा तत्सम्बन्धी नवीन अनुसंधानों के निष्कर्षों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इस दायित्व को राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए।
8. यह सर्वेक्षण फिरोजाबाद जनपद की टूण्डला तहसील के 50 विद्यालयों तक ही सीमित था। यद्यपि नगर में 274 विद्यालयों की मान्यता है। किन्तु अनुमान है कि लगभग निजी विद्यालय में 50 से अधिक विद्यालय बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। अतः यदि सभी विद्यालय का व्यापक सर्वेक्षण किया जाय तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के विषय में व्यापक सूचनाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- गिरी, दत्त अमरनाथ **"बदहाल प्राइमरी शिक्षा"** दैनिक जागरण, कानपुर 3 जून 1998
- गिरी, दत्त अमरनाथ **"प्राथमिक शिक्षा का भयावह दृश्य"** दैनिक जागरण साप्ताहिक परिशिष्ट रविवार 13 दिसम्बर 1998
- दुबे, एम. सी. **"बेसिक एजूकेशन एण्ड दा न्यू सोशल आर्डर"** 1969
- हैरिस, सी. डब्लू. इनसाकोपीडिया ऑफ एजूकेशन रिसर्च तीसरा, न्यूर्योक मैकमिलिन कम्पनी लिमिटेड
- बुच, एम. बी. **"सैकेण्ड सर्वे ऑफ एजूकेशन रिसर्च"**
- गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, **"रिपोर्ट ऑफ दा एजूकेशन कमीशन"** न्यू दिल्ली, मिनिस्टी ऑफ एजूकेशन, 1966
- लाल, रमन बिहारी **"भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं"** रस्तोगी प्रकाशन मेरठ, 2012
- पाण्डेय, राम शकल **"भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं"** अग्रवाल प्रकाशन आगरा, 2010
- **"राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान परिपेक्ष्य"** अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली, 2004

- **"राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान"** सहयोग संवर्द्धन, उ.प्र. इलाहाबाद, 2003
- **"राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद"** सप्तम् अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण अधिकारियों के लिए मार्ग दर्शन, शैक्षिक सर्वेक्षण और आंकडा प्रकियन विभाग, नई दिल्ली, 2002
- **"राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान"** सहयोग संवर्द्धन, उ.प्र. इलाहाबाद, 2000
- रायजदा, बी.एस. **"शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तथ्य"** हिन्दी ग्रन्थ अकादमी राजस्थान, 1996
- शर्मा, आर. ए. **"शोध प्रबन्ध लेखन"** इन्टरनेशनल पब्लिकेशन हाऊस मेरठ, 1993
- सुखिया, एस. पी. **"शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व"** विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1979
- **"सलैक्टिड एजूकेशन स्टेटिस्टिक्स"** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,भारत सरकार
- धूते, जे. एच. **"ए रिपोर्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल सर्वे"** 1972
- वर्मा, एम. एन. **"इनट्ररोडेक्शन टू एजूकेशन एण्ड साइक्लोजी"** रिसर्च बोम्बे एसिया

- भारत 2008, 2009, 2010 व 2013 सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पब्लिकेशन हाऊस
- पत्रिकांए
- योजना : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली (कुछ अंक)
- कुरुक्षेत्र : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली (कुछ अंक)
- इण्डिया टुडे : टाइम्स ऑफ इण्डिया, प्रकाशन (कुछ अंक)

WEB SITE

www.dise.in

www.nupea.org

www.schoolreportcard.in

www.google.com

परिशिष्ट – 1

प्रश्नावली

फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण

एक शोध परियोजना

महोदय,

यह एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना है, जिसका उद्देश्य फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला तहसील में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का पता लगाना है । इस प्रश्नावली में पूछे गये प्रश्न विषय से सम्बन्धित है, जिनके उत्तर के आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा । अतः सभी प्रश्नों को सावधानी से पढ़कर उसका उत्तर दें । आपके सहयोग से शोधकर्ता को फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला नगर में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आंकलन करने व निष्कर्ष निकालने में सुविधा होगी ।

शोध निदेशक	शोधार्थिनी
डॉ० अमरनाथ दत्त गिरि	कु ज्योति
विभागाध्यक्ष	एम.एड. छात्रा

शिक्षा संकाय

अतर्रा पी.जी. कालेज, अतर्रा बांदा

निर्देश :– 1– कृपया उत्तर साफ–साफ अक्षरों में लिखें ।
2– सभी प्रश्नों के उत्तर दें ।

नोट :–आपके उत्तरों को गोपनीय रखा जायेगा । अतः प्रश्नों का उत्तर निर्भय होकर दें ।

विद्यालय का नाम –

पता–

(क) विद्यालय प्रबन्ध –

1– क्या प्रबन्ध समिति है ? हाँ ☐ नहीं ☐

2– प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण –

क्र.सं	नाम	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय	समिति में पद
1–				
2–				
3–				
4–				
5–				
6–				
7–				
8–				

3– विद्यालय का स्थापना कब हुई ? सन् ....

4– क्या विद्यालय रजिस्टर्ड है ? हाँ ☐ नहीं ☐

5– क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ? हाँ ☐ नहीं ☐

स्थायी मान्यता ☐ अस्थायी मान्यता ☐

6– क्या विद्यालय में शुल्क लिया जाता है ? यदि हाँ तो प्रवेश के समय एवं प्रति माह कितना शुल्क लिया जाता है ?

प्रवेश के समय .... प्रतिमाह ....

विद्यालय कार्यावधि –

जाड़े में –

गर्मी में –

(ख) छात्र का स्वरूप एवं उसकी पृष्ठ भूमि –

1– विद्यालय में किस सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के छात्र आते हैं ? लगभग प्रतिशत में व्यक्त करें ।

वर्ग	प्रतिशत
निम्न वर्ग –	
निम्न मध्यम वर्ग –	
मध्यम वर्ग –	
उच्च मध्यम वर्ग –	
उच्च वर्ग –	

2– क्या छात्रों के लिए विद्यालय वेश निर्धारित है ? यदि हाँ तो

बालकों के लिए ----

बालिकाओं के लिए ----

3– विद्यालय में बालक–बालिकाओं का क्या अनुपात है ? कृपया प्रतिशत में व्यक्त करें ।

बालकों का प्रतिशत –

बालिकाओं का प्रतिशत –

4– **कक्षा में बालकों की संख्या का विवरण –**

कक्षा	वर्ग (सैक्शन)	संख्या	कुल संख्या
नर्सरी/शिशु			
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			
चतुर्थ			
पंचम			

प्रत्येक सैक्शन में छात्रों की अधिकतम संख्या एवं न्यूनतम संख्या कितनी है ?

अधिकतम संख्या　　　　　　　　　　न्यूनतम संख्या

5- नर्सरी/शिशु कक्षा में प्रवेश लेने वाले शिशुओं की औसत उम्र क्या रहती है ?

औसत उम्र (प्रवेश के समय) -

6- नर्सरी/शिशु कक्षा में प्रवेश लेने वाले शिशु से किस प्रकार के पूर्व ज्ञान (प्रीवियर नॉलेज) की अपेक्षा रखी जाती है।

7- प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले बालक से किस प्रकार के पूर्व ज्ञान (प्रीवियस नॉलेज) की अपेक्षा रखी जाती है।

(ग) विद्यालय की वार्षिक स्थिति एवं मौखिक सुविधाऐं -

1- क्या विद्यालय अपना बजट बनाता है ? हाँ ☐ नहीं ☐

2- विद्यालय की आय के कौन से स्त्रोत हैं ? एवं व्यय के कौन से मद हैं ?

आय के स्त्रोत	व्यय के मद

3- क्या विद्यालय को सरकारी सहायता (ग्रान्ट) मिलती है ? हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो कितने रू० वार्षिक -

4- क्या विद्यालय के पास अपना (निजी) भवन है ? हाँ ☐ नहीं ☐

5- विद्यालय के निजी कोष में इस समय कितना धन है ?

6- क्या विद्यालय में खेल-कूद आदि के लिए खेल का मैदान है।

हाँ ☐ नहीं ☐

7- **विद्यालय में कक्ष संख्या एवं उसके नाम का विवरण -**

साधारण कक्ष संख्या　　　　नाम -

विशाल कक्ष संख्या　　　　नाम -

8- क्या विद्यालय में बालकों के लिए जलपान गृह (कैण्टीन) की व्यवस्था है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

9- कक्षा विद्यालय की ओर से बालकों को जलपान दिया जाता है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

10- क्या विद्यालय के पास बालकों को ले जाने व ले जाने के लिए वाहन है ? यदि हाँ तो किस प्रकार का है ? संख्या भी बतायें –

रिक्शा –

बस – , कोई वाहन नहीं –

11- क्या विद्यालय में दाई या चपरासी की व्यवस्था है ? यदि हाँ तो कृपया संख्या बतायें –

दाई –

चपरासी –

12- क्या विद्यालय में लिपिक की व्यवस्था है तो कृपया संख्या बतायें –

लिपिक –

अन्य कर्मचारी –

13- क्या विद्यालय में अधिकांश बालकों के बैठने की क्या व्यवस्था है ?

डेस्क/बेंच/कुर्सी–मेज/टाट–पट्टी/दरी

(घ) <u>विद्यालय के उद्देश्य (ऑब्जेक्टिव) एवं लक्ष्य (एम्स) –</u>

1- क्या विद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित हैं ? यदि हाँ तो उनका विवरण दें –

....

....

2- विशेष रूप से नर्सरी / शिशु कक्षा के लिए किन किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है ?

....

....

3- क्या सत्र के बीच में उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में किया जाता है ?

....

....

4- क्या उद्देश्य व लक्ष्य प्राप्ति की दशा में विद्यालय का प्रयास व उसकी उपलब्धि सन्तोष जनक है ? यदि हाँ, तो कुछ प्रमाण दें । जैसे परीक्षाफल का प्रतिशत आदि ।

....

नोट :- यदि विद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य छपे हुए हैं तो कृपया एक प्रति संलग्न करने की कृपा करें ।

(च) 1- अध्यापक / अध्यापिकाओं सम्बन्धी विवरण –

क्र.सं.	प्रधानाध्यापक/अध्यापक/प्रधानाध्यापिका	शैक्षिक योग्यता	आयु	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित

प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिका का कुल मासिक वेतन –

अप्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिका का कुल मासिक वेतन –

2– उन्हें दी जाने वाली छुट्टियों का विवरण –

आकस्मिक छुट्टियों की संख्या –

चिकित्सा छुट्टियों की संख्या –

3– क्या टीचर डायरी बनी है ? यदि हाँ तो क्या अध्यापक / अध्यापिकाऐं नियमित रूप से उसमें शैक्षिक योजनाओं, क्रियाओं को लिखते / लिखती हैं।

(छ) **शिक्षण विधि एवं शिक्षक और मूल्यांकन –**

1– क्या अध्यापक शिक्षण से पूर्व 'शिक्षण योजना' बनाता है ? यदि हाँ तो किस प्रकार का है ?

....

2– क्या शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य के विषय में जानकारी रखती है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

3– पूर्व प्राथमिक (नर्सरी / शिशु) और प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है ? जैसे, किन्डर गार्डन, मान्टेसरी आदि।

कक्षा	शिक्षण विधि जिसका प्रयोग किया जाता है	विशेष विवरण (यदि हाँ तो)
नर्सरी / शिशु / प्रथम		
द्वितीय / तृतीय		
चतुर्थ		
पंचम		

4- क्या शिशुओं / बालकों को विद्यालय डायरी दी गई है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

5- शिक्षणा को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए क्या 'सहायक सामग्री', का उपयोग किया जाता है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है ? कृपया विवरण दें।

6- शिशुओं /बालकों को कक्षा में दिये जाने वाले ज्ञान (लर्निंग एक्सपीरिएन्स) का मूल्यांकन करने के लिए 'परीक्षा' किस रूप में ली जाती है ?

नर्सरी

प्राथमिक

(1-5 तक)

नोट :- लि० लिखित, मौ० = मौखिक, क्रियात्मक

7- क्या विद्यालय में समय-समय पर निम्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ? तो उस कार्यक्रम पर सही (✓) का निशान बना दें।

वार्षिकोत्सव

प्रतियोगिताऐं – (क) शारीरिक (ख) बौद्धिक

शिविर –

वन बिहार

देश वर्णन बाल सभा

(ज) **पाठ्यक्रम, सहपाठ्यगामी (को-करीकुलर) क्रियाऐं एवं पुस्तकें**

1- क्या नर्सरी / प्राथमिक कक्षाओं के लिए 'पाठ्यक्रम' निर्धारित है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

2- यदि पाठ्यक्रम 'छपा हुआ' हो तो कृपया उसकी एक प्रति संलग्न करें।

3- नर्सरी / प्राथमिक कक्षाओं में कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं ?

कक्षा	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	सामाजिक अध्ययन	सामान्य ज्ञान	यदि कोई
नर्सरी							
प्राथमिक							

4- यदि विभिन्न कक्षाओं (नर्सरी से पंचम तक) के लिए पुस्तकें निर्देशित है तो उनका नाम, प्रकाशन का नाम आदि लिखें :-

कक्षा	विषय	निर्देशित पुस्तक का नाम	प्रकाशन का नाम व स्थान	मूल्य

नोट :- यदि छपी हुई बुक लिस्ट हो तो उसकी एक प्रति संलग्न कर दें ।

परिशिष्ट – 2

विद्यालय सूची (टूण्डला तहसील)

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय

1. प्राथमिक विद्यालय, बाद्यई
2. प्राथमिक विद्यालय, त्रिलोकपुर
3. प्राथमिक विद्यालय, ढकई
4. प्राथमिक विद्यालय, जरारा
5. प्राथमिक विद्यालय, न0 पुनू
6. प्राथमिक विद्यालय, न0 महादेव
7. प्राथमिक विद्यालय, खैरारा
8. प्राथमिक विद्यालय, गढीऊसरा
9. प्राथमिक विद्यालय, निवाजपुर
10. प्राथमिक विद्यालय, सिकरारी
11. प्राथमिक विद्यालय, गढी जाफर
12. प्राथमिक विद्यालय, उसायनी
13. प्राथमिक विद्यालय, बदनपुर
14. प्राथमिक विद्यालय, अलावलपुर
15. प्राथमिक विद्यालय, अनान्दपुर
16. प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला
17. प्राथमिक विद्यालय, कच्चा टूण्डला
18. प्राथमिक विद्यालय, पिपरौली
19. प्राथमिक विद्यालय, सलेमपुर
20. प्राथमिक विद्यालय, न0 रैया

21. प्राथमिक विद्यालय, गढी जादी
22. प्राथमिक विद्यालय, भक्ति गढी

निजी संस्था द्वारा संचालित विद्यालय

1. आशा प्राथमिक विद्यालय
2. ए. जेम्स प्राइमरी स्कूल
3. गुरुनानक जू. हाई स्कूल
4. टूण्डला पब्लिक स्कूल
5. डी. आर. पब्लिक स्कूल
6. दुर्गा प्राइमरी स्कूल
7. दुर्गा अहिल्लया प्राइमरी स्कूल
8. नालन्दा प्राइमरी स्कूल
9. मोर्डन पब्लिक जू. हाई स्कूल
10. राधा बल्लभ स्कूल
11. लार्ड श्रषभ स्कूल
12. विज्ञान संस्कार प्राथमिक विद्यालय
13. सी. एस. प्राइमरी स्कूल
14. एस. डी. एस. स्कूल
15. श्री हरी पब्लिक स्कूल
16. श्री मती कुसुमा देवी विद्यालय
17. श्री मती त्रिवेणी देवी जू. हाई स्कूल
18. श्री गॉधी आश्रम जू. हाई स्कूल
19. श्री शिव प्रसाद मैमोरियल स्कूल

ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित विद्यालय

1. न्यू काइस्द दा किंग स्कूल
2. एम. एस. स्कूल

विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय

1. सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल
2. शिशु मंदिर विद्यालय
3. सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल
4. मॉ शारदा रमन स्कूल

महाविद्यालयों द्वारा संचालित विद्यालय

1. ठाकुर बीरी सिंह इण्टर स्कूल
2. श्री शिव प्रसाद मैमोरियल स्कूल

स्वतन्त्र रूप से संचालित विद्यालय

1. आदर्श प्राथमिक विद्यालय